



The Uttarakhand Police Act, 2007

Act 1 of 2008

Keyword(s):

Insurgency, Internal Security, Militant Activities, Moral Turpitude, Organized Crime, Place of Public Amusement and Public Entertainment, Police District, Police Officer, Police Personnel, Public Place, Revenue Police Area, Revenue Police System, Subordinate Rank, Superintendent of Police, Terrorist Activity, Victim, Witness

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 04 जनवरी, 2008 ई0

पौष 14, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1215/XXXVI (4)/2008

देहरादून, 04 जनवरी, 2008

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 पर दिनांक 02 जनवरी, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007

प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित

(अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2008)

पुलिस व्यवस्था की उभरती हुई चुनौतियों; कानून का शासन लागू करने, राज्य और जनता की सुरक्षा की समस्याएँ, सुशासन एवं मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधिष्ठान, विनियमों तथा प्रबन्धन, पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पुनः परिभाषित करते हुए दक्ष व्यावसायिक, प्रभावी जवाबदेह और जनता की मित्र पुलिस को उत्तरदायी बनाए जाने के दृष्टिकोण से यह

अधिनियम

भारत गणराज्य के 58वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 है।
 प्रारम्भ और (2) यह, राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर, समस्त उत्तराखण्ड राज्य और
 विस्तार (3) यह उस दिनांक को प्रवृत्त होगा जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर नियत किया जाय।
- परिभाषाएं 2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;
- (क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007, अभिप्रेत है;
 (ख) "पशु" से गाय, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरी और सूअर अभिप्रेत है;
 (ग) "मुख्य सचिव" से राज्य सरकार का मुख्य सचिव अभिप्रेत है;
 (घ) "जिला" से उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त और समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन जिले के रूप में अधिसूचित राजस्व क्षेत्र अभिप्रेत है;
 (ङ) "जिला मजिस्ट्रेट" से ऐसा मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे जिले का सिविल प्रशासन सौंपा गया है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1974) की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है;
 (च) "मण्डलायुक्त", से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे इस रूप में पदाविहित किया गया है और जो उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त और समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन अधिसूचित राजस्व मण्डल का प्रभारी है;
 (छ) "घरेलू सेवक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पारिश्रमिक पर अथवा अन्यथा, घरों में घरेलू कार्य करता है;
 (ज) "राज्य के विरुद्ध द्रोह" से किसी समूह या जनसंख्या के किसी भाग द्वारा ऐसा राजद्रोह अभिप्रेत है, जिसमें किसी भारतीय क्षेत्र में किसी भाग को पृथक करना भी, सम्मिलित है;
 (झ) "आन्तरिक सुरक्षा" से राज्य के अन्दर विध्वंसकारी और राष्ट्रविरोधी ताकतों से राज्य की एकता व अखण्डता का परिरक्षण अभिप्रेत है;

- (ज) "युद्धमान गतिविधियां" से राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, आग्नेयस्त्र या अन्य घातक अस्त्रों या खतरनाक पदार्थों के उपयोग द्वारा किसी समूह की हिंसक गतिविधि अभिप्रेत है;
- (ट) "नैतिक अधमता" से ऐसे किसी अपराध में शामिल होना अभिप्रेत है, जो अन्य बातों के साथ-साथ छल-कपट, जालसाजी, स्वापक (ड्रग), नशा, किसी महिला की शालीनता को ठेस पहुंचाना या भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1860) के अध्याय-6 में उल्लिखित राज्य के विरुद्ध किया गया कोई अपराध सम्मिलित है;
- (ठ) "संगठित अपराध" में ऐसा अपराध सम्मिलित है जो हिंसा या हिंसा की धमकी द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने के सामान्य आशय के अनुसरण में किसी समूह या व्यक्तियों के गिरोह द्वारा किया गया हो;
- (ड) "सार्वजनिक आमोद एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थल" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायें;
- (ढ) "पुलिस जिला" से ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है।
- (ण) "पुलिस जिले की सीमा" से राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर राजस्व जिले का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (त) "पुलिस अधिकारी" से भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड पुलिस सेवा अथवा उत्तराखण्ड अधीनस्थ पुलिस सेवा के अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अन्य सेवा के पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित हैं;
- (थ) "पुलिस कार्मिक" से ऐसे पुलिस अधिकारी एवं समस्त अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिनके लिए पुलिस महानिदेशक अथवा उनका कोई अधीनस्थ अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है;
- (द) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन विहित अभिप्रेत है;
- (ध) "सार्वजनिक स्थल" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां जनता प्रवेश कर सकती है और इसमें निम्नलिखित स्थान सम्मिलित होंगे:-
 (एक) सार्वजनिक भवन, स्मारक और उनकी परिसीमाएं; और
 (दो) कोई ऐसा स्थान जो जनता को पानी प्राप्त करने, धोने, स्नान करने या मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए सुलभ हो;
- (न) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत है;
- (प) "राजस्व पुलिस क्षेत्र" से इस रूप में विद्यमान अथवा राजस्व पुलिस क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (फ) "राजस्व पुलिस प्रणाली" से राजस्व पुलिस क्षेत्र में विद्यमान पुलिस की कार्य प्रणाली अभिप्रेत है;

द्वारा

के।

और

चेत

गौर

ज्य के

का
 ोय
 गर

में

म,

पर

वा

म

म

धी

- (ब) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (भ) "सेवा" से इस अधिनियम के अधीन गठित पुलिस सेवा अभिप्रेत है;
- (म) "अधीनस्थ पद" से सहायक अथवा उप पुलिस अधीक्षक के निम्न स्तर के पद अभिप्रेत है;
- (य) "पुलिस अधीक्षक" से पुलिस जिला का प्रभारी पुलिस अधिकारी एवं समतुल्य पद के पुलिस अधिकारी अभिप्रेत हैं;
- (र) "आतंकवादी गतिविधि" से समाज या उसके किसी भाग में आतंक फैलाने के उद्देश्य और विधि द्वारा स्थापित सरकार को अत्यधिक भयभीत करने के आशय से विस्फोटकों या ज्वलनशील पदार्थों या आग्नेयस्त्रों या अन्य घातक शस्त्रों या विषैली गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के पदार्थों के उपयोग द्वारा किसी व्यक्ति या समूह की कोई गतिविधि अभिप्रेत है;
- (ल) "पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से आपराधिक अपहानि, जिसमें शारीरिक अथवा मानसिक क्षति, भावनात्मक पीड़ा, आर्थिक हानि अथवा उनके मौलिक अधिकारों को पर्याप्त रूप से हानि पहुंची हो तथा इसमें उत्तराखण्ड में लागू विधियां एवं उनका उल्लंघन भी सम्मिलित है;
- (व) "साक्षी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है:-
- (क) जिसने किसी अपराध के संबंध में जैसा विहित किया जाए, बयान दिया है या साक्ष्य दिया है या देने को सहमत हो गया है;
- (ख) उपरोक्त खण्ड(क) में निर्दिष्ट व्यक्ति के सहयोगी अथवा सम्बन्धी द्वारा इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता अपेक्षित हो सकती है; या
- (ग) किसी अन्य कारण से इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता की अपेक्षा करे।

टिप्पणी:- ऐसे शब्दों और पदों का, जिनका इस अधिनियम में प्रयोग किया गया है, किन्तु जिन्हें विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दिया गया है।

अध्याय-दो

पुलिस बल का गठन एवं संगठन

- राज्य के लिए एक पुलिस बल का गठन
- पुलिस रेंज
- पुलिस जिला
- जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ
- पुलिस थाने
- राजस्व पुलिस क्षेत्र
- रेलवे पुलिस
3. (1) राज्य के लिए एक पुलिस बल होगा।
(2) पुलिस बल में ऐसे पद, सदस्य तथा ऐसा/ऐसे संगठन होंगे जो साधारण और विशेष आदेशों द्वारा राज्य सरकार विहित करे।
(3) राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण के अधीन राज्य के पुलिस बल का प्रशासन पुलिस महानिदेशक में निहित रहेगा।
 4. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य को एक या एक से अधिक पुलिस रेंज में विभाजित कर सकेगी।
(2) पुलिस रेंज में पुलिस बल का प्रशासन एक अधिकारी में निहित होगा, जिसका पद पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा।
 5. जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में पुलिस जिला का प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य समन्वय तथा सामान्य निर्देशन में पुलिस अधीक्षक में निहित होगा।
 6. किसी विशेष श्रेणी के अपराध पर कार्यवाही करने या अपराध से पीड़ित व्यक्ति सहित समुदाय को आमतौर पर बेहतर सेवा प्रदान करने के प्रयोजन से राज्य सरकार किसी पुलिस जिले में एक या एक से अधिक विशेष प्रकोष्ठ सृजित कर सकेगी।
 7. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, चौकियों सहित या उनके बिना पुलिस थाने सृजित करेगी।
(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, वृत्त अधिसूचित करेगी और एक वृत्त में न्यूनतम दो थाने होंगे।
(3) थाने का प्रधान प्रभारी अधिकारी होगा; जिसका पद पुलिस उपनिरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा।
 8. राजस्व पुलिस प्रणाली के अधीन किसी जिले का ऐसा क्षेत्र होगा, जिसे समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।
 9. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से, राज्य में ऐसे रेल क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए, जो विनिर्दिष्ट किये जाएं, पुलिस अधीक्षक के अधीन एक या एक से अधिक रेलवे पुलिस जिले सृजित कर सकती है।

- (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक रेलवे पुलिस जिले को सहायक/उप पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी के अधीन एक या एक से अधिक वृत्तों में विभाजित कर सकेगी।
- (3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी रेलवे पुलिस जिले में एक अधिकारी के अधीन, जिसका पद पुलिस उप निरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा, एक या एक से अधिक थाने सृजित कर सकेगी।
10. राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अभिसूचना के संग्रह, समाकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए राज्य अभिसूचना विभाग सृजित कर सकती है।
- राज्य अभिसूचना विभाग
11. राज्य सरकार, साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट अपराधों के अन्वेषण हेतु, या जैसा पुलिस महानिदेशक और/या राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाए, अपराध अन्वेषण विभाग सृजित कर सकती है।
- राज्य अपराध अन्वेषण विभाग
12. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी—
- (1) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विशिष्ट पुलिस बल का निर्माण, संख्या, कृत्य, उत्तरदायित्व भी अवधारित कर सकेगी।
- (2) विशिष्ट पुलिस बल में ऐसा प्रशासनिक ढांचा और पदानुक्रम होगा, जैसा विहित किया जाए।
- (3) विशिष्ट पुलिस बल के कर्तव्य, उत्तरदायित्व, शक्तियां और विशेषाधिकार ऐसे होंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।
- (4) राज्य सरकार, साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, ऐसे विशिष्ट पुलिस बल को भंग कर सकती है अथवा युक्ति संगत बना सकती है।
- विशिष्ट पुलिस इकाईयां
13. विधि के प्रवर्तन और व्यवस्था बनाये रखने या ऐसी परिस्थितियों में जब शान्ति के भंग होने की सम्भावना हो और आपदा प्रबन्धन कार्यों, बन्दियों के अनुसूक्षकों या ऐसे अन्य कर्तव्यों के पालन में, जिनके लिए विशेष शस्त्र या रणनीति में कुशल या सशस्त्र पुलिस की उपस्थिति आवश्यक हो, सिविल पुलिस की सहायता के लिए राज्य सरकार समुचित मानव शक्ति सहित प्रत्येक पुलिस जिले के लिए सशस्त्र पुलिस रिजर्व के रूप में और राज्य के लिए समुचित संख्या में सशस्त्र पुलिस बटालियन के रूप में सशस्त्र पुलिस इकाईयां या विशेष सशस्त्र पुलिस इकाईयां सृजित करेगी। ऐसे रिजर्व बटालियनों का गठन, प्रशिक्षण, तैनाती और प्रशासन इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार होगा।
- जिला सशस्त्र रिजर्व एवं राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन

को क या एक निम्न	विशेष पुलिस अधिकारी	14. इस निमित्त विहित नियमों के अधीन रहते हुए, विशेष परिस्थितियों में, विशेष पुलिस अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाएंगे।
नाकलन है।	पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं	15. (1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण-सह-शिक्षा नीति निर्धारित कर सकती है। इस नीति का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों में, जैसे-जैसे वे अपने व्यवसाय में प्रगति करते जाएं, में उपयुक्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं प्राप्त करने के लिए सेवा संस्कृति को प्रोत्साहित करना भी होगा।
गों के द्वारा		(2) राज्य सरकार, साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं सहित पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकेगी।
हुए		(3) पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा प्रशासन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए विनियमों के अनुसार होगा।
न का		
जैसा	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो	16. (1) राज्य सरकार, पुलिस और अपराध से सम्बन्धित विषयों पर अनुसंधान करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना कर सकेगी। (2) ब्यूरो का प्रशासन और कामकाज की परिस्थितियां ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं।
धकार		
पुलिस		
शान्ति रक्षकों ति में	तकनीकी एवं सहायक बल	17. राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के समग्र नियंत्रण में तकनीकी अभिकरणों और सेवाओं का सृजन एवं अनुरक्षण कर सकती है, जैसा समय-समय पर अधिसूचनाओं द्वारा इस निमित्त अपेक्षित हो।
। की		
पुलिस	विधि सलाहकार और वित्तीय नियन्त्रक	18. राज्य सरकार, विधिक एवं वित्तीय मामलों में पुलिस महानिदेशक की सहायता और उसे परामर्श देने के लिए क्रमशः एक विधि सलाहकार और एक वित्तीय नियन्त्रक नियुक्त कर सकेगी।
मुचित		
विशेष		
गठन,		
गों के		

अध्याय—तीन

पुलिस बल का प्रशासन

पुलिस बल
पर अधीक्षण

19. किसी अन्य विधि में कोई बात के होते हुये भी, राज्य सरकार, पुलिस बल से सम्बन्धित सभी मामलों में, अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करेगी।

पुलिस
महानिदेशक

20. (1) पुलिस बल के समग्र नियंत्रण, निदेशन और पर्यवेक्षण के लिए राज्य सरकार एक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी।

(2) पुलिस महानिदेशक के पद पर, पूर्व से कार्यरत अधिकारियों अथवा ऐसे अधिकारियों, जो पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नति के योग्य पाये गए हैं, की नामिका में से, सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा, संवीक्षा के पश्चात, नियुक्त की जायेगी;

परन्तु यह कि नामिका में अधिकारियों की संख्या राज्य में महानिदेशक के लिए स्वीकृत संवर्ग पदों की संख्या के तीन गुना से अधिक नहीं होगी।

(3) इस प्रकार नियुक्त पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल अधिवर्षता के अधीन रहते हुए न्यूनतम दो वर्ष होगा।

(4) राज्य सरकार, निम्नलिखित आधार पर, कारण विनिर्दिष्ट करते हुए, एक लिखित आदेश द्वारा, पुलिस महानिदेशक को उसके पद से, उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, हटा सकती है :-

(एक) किसी दण्डक अपराध में किसी विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर अथवा किसी न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार अथवा नैतिक अधमता में अन्तर्वलित मामले में आरोप लगाये जाने पर; या

(दो) शारीरिक और मानसिक रोग से अक्षमता के कारण, पुलिस महानिदेशक के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अयोग्य होने पर; या

(तीन) केन्द्र अथवा अन्य राज्य सरकार के अधीन समान पद या उच्चतर पद पर प्रोन्नति किये जाने पर; या

(चार) उसके स्वयं के अनुरोध पर;

(5) आपवादिक मामलों में, पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार द्वारा घोर अदक्षता या उपेक्षा के लिए उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकेगा, यदि प्रारम्भिक जांच के बाद प्रथमदृष्ट्या गम्भीर प्रकृति का मामला स्थापित हो जाये।

पुलिस
प्रशासन

21. सरकार के अनुमोदन के अध्यक्षीन, पुलिस महानिदेशक इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप—

- (क) अपराध निवारण,
- (ख) अपराध अन्वेषण,
- (ग) कानून और व्यवस्था बनाये रखने,
- (घ) पुलिस संगठन और पुलिस अधिकारियों द्वारा निष्पादित कार्य का विनियमन और निरीक्षण,
- (ङ) पुलिस बल को प्रदान किये जाने वाले हथियारों, सज्जा, पोषाक और अन्य साधनों का विवरण और मात्रा का निर्धारण,
- (च) पुलिस बल के सदस्यों के आवास स्थल का चयन,
- (छ) पुलिस बल का विनियमन, तैनाती, संचलन और अवस्थिति,
- (ज) सभी पदों और श्रेणियों के अधिकारियों को ड्यूटी सौंपना और रीति और शर्तें विहित करना, जिनके अधीन वे क्रमशः अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे,
- (झ) पुलिस द्वारा अभिसूचना और सूचना को एकत्र करने तथा उसके सम्प्रेषण का विनियमन, और
- (ञ) साधारणतः पुलिस को अधिक दक्ष बनाने, शक्ति का दुरुपयोग और उनके द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा को रोकने के लिए पुलिस की विभिन्न इकाईयों और अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख, रजिस्टर और प्रपत्र तथा प्रस्तुत किये जाने वाली विवरणियां विहित करने;

के लिए, विनियम बनायेगा और आदेश जारी करेगा।

अनुशासनिक
कार्यवाहियां

22. "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अधीन, अनुशासनिक कार्यवाहियां इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित की जाएंगी।

अनुशासनिक
शास्तियां

23. (1) पुलिस अधीक्षक के स्तर या उससे उच्चतर स्तर का अधिकारी उस स्तर के पुलिस अधिकारी को, जिसका वह नियुक्ति प्राधिकारी है, निम्नलिखित में से कोई दण्ड दे सकेगा, अर्थात्—

- (क) पदावनति;
- (ख) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;
- (ग) सेवा से हटाना;
- (घ) पदच्युति;
- (ङ) वेतन में कटौती;
- (च) वेतनवृद्धि रोकना; और
- (छ) पदोन्नति रोकना।

(2) पुलिस अधीक्षक के स्तर का या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी, अपने अधीनस्थ अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित में से कोई दण्ड दे सकेगा, अर्थात्—

- (क) एक माह से अनधिक के वेतन का जुर्माना;
- (ख) परिनिन्दा या भर्त्सना।

घोर
पद से
गम्भीर

- (3) कोई भी पुलिस उप अधीक्षक या उसके समतुल्य स्तर का कोई अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक या उससे निम्न स्तर के किसी अधिकारी को परिनिन्दा या भर्त्सना का दण्ड दे सकता है।
- (4) निरीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई अधिकारी कान्सटेबिल और हेड कान्सटेबिल को लघु दण्ड दे सकेगा।
- (5) किसी अधिकारी को उप धारा (1), (2), (3) या (4) में उल्लिखित दण्ड दिये जाने पर उसके द्वारा उसी संव्यवहार में किये गये दण्डित अपराध से, जिसमें विभागीय कार्यवाही के कारण किसी विभागीय नियम के उल्लंघन करने पर उसे दण्डित किया गया है, अभियोजन की उसकी जिम्मेदारी प्रभावित नहीं होगी।
24. निलम्बन पुलिस अधीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ निरीक्षक या उससे निम्न स्तर के पुलिस अधिकारी को कारण अभिलिखित करने के उपरान्त निलम्बित कर सकेगा।
25. अवचार कोई भी पुलिस अधिकारी किसी अन्य अपचार या व्यवहार के, जैसा कि संगत नियमों में विहित है, अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी अवचार के लिए अनुशासनिक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा:—
- (क) विधि सम्मत आदेशों की अवज्ञा;
- (ख) ड्यूटी की उपेक्षा;
- (ग) अनधीनता या कोई कठोर आचरण;
- (घ) अनधिकृत मिथ्यारोप या ड्यूटी से अनुपस्थिति;
- (ङ.) कायरतापूर्ण कार्य;
- (च) अधिकार का दुरुपयोग; या
- (छ) कोई ऐसा कार्य जो एक अधिकारी को शोभा नहीं देता।
26. दण्ड के आदेशों के विरुद्ध अपील वर्तमान अधिनियम के अनुसरण में या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किसी अधिकारी के विरुद्ध पारित दण्ड के किसी आदेश के विरुद्ध निम्न के समक्ष अपील हो सकेगी—
- (क) जहां आदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित किया जाता है— राज्य सरकार को और
- (ख) जहां आदेश पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है— पुलिस पदानुक्रम में ऐसा आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी से अगले उच्चतर स्तर के अधिकारी को।
27. रेलवे क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन (1) राज्य सरकार, रेलवे क्षेत्रों के प्रशासन में पुलिस महानिदेशक की सहायता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी को तैनात कर सकती है।
- (2) रेलवे क्षेत्र में पुलिस जिले का प्रशासन पुलिस अधीक्षक में निहित होगा।
- (3) पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, ऐसे पुलिस अधिकारी अपने-अपने प्रभारों के अन्तर्गत स्थित रेल से सम्बन्धित पुलिस कृत्य का तथा अन्य ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपे जाएं।

ग कोई
के किसी
ल और
त दण्ड
अपराध
नियम के
उसकी
ने अपने
कारण
संगत
के लिए
मुख्य पुलिस
अधिकारियों
की पदावधि
मों के
विरुद्ध
राज्य
पारित
वाले
की
किसी
गेगा।
पुलिस
पुलिस
सरकार

मुख्य पुलिस
अधिकारियों
की पदावधि

- (4) कोई भी पुलिस अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उपधारा के अधीन साधारण अथवा विशेष आदेश से कार्य करने के लिए सशक्त किया जाता है, पुलिस जिले या उसके किसी भाग में उस पुलिस जिले के किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय उसे अपने थाने की सीमाओं के अन्दर, ऐसे अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करते हुए, उस पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी समझा जायेगा।
- (5) किन्हीं साधारण और विशेष आदेशों के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त पारित करे, ऐसे अधिकारी में अपने कृत्यों के निर्वहन में, शक्तियों और विशेषाधिकार, राज्य के प्रत्येक भाग में, निहित होंगे तथा इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत उनके दायित्व वही होंगे, जो पुलिस अधिकारियों के हैं।
- (6) पुलिस अधीक्षक, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों और कृत्यों को, किसी सहायक या उप अधीक्षक को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

28. (1) किसी थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किसी पुलिस अधिकारी की पदावधि, न्यूनतम एक वर्ष एवं किसी पुलिस वृत्त के प्रभारी अधिकारी के रूप में या पुलिस अधीक्षक के रूप में या किसी रेंज के उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक की पदावधि, अधिवर्षिता के अधीन रहते हुए, न्यूनतम दो वर्ष होगी;

परन्तु इस प्राविधान के अन्तर्गत आच्छादित किसी पुलिस अधिकारी को, निम्नलिखित के परिणामस्वरूप, उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व, स्थानान्तरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा, सकारण लिखित आदेश द्वारा, उसके पद से स्थानान्तरित किया जा सकेगा:—

- (क) उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर, या प्रतिनियुक्ति पर जाने पर, या
- (ख) दोष सिद्ध होने पर; या
- (ग) किसी विधि न्यायालय द्वारा दण्डिक अपराध का आरोप लगाये जाने पर; या
- (घ) शारीरिक और मानसिक रोग या अन्यथा अक्षमता से अपने कृत्यों और कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ होने पर; या
- (ङ) किसी शक्ति के भरणे के लिए; या
- (च) उसके स्वयं के अनुरोध पर, या
- (छ) जनहित में।

- (2) आपवादिक मामलों में, घोर अकुशलता या उपेक्षा के लिए, जहां प्रारम्भिक जांच के पश्चात प्रथम दृष्टया गम्भीर प्रकृति का मामला संस्थित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अधिकारी को उसके पद से हटाया जा सकेगा।

अध्याय—चार

राज्य पुलिस बोर्ड तथा पुलिस अधिष्ठान समिति

- राज्य पुलिस बोर्ड
29. राज्य सरकार, यथाशीघ्र इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन सौंपे गये कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक राज्य पुलिस बोर्ड स्थापित करेगी।
- बोर्ड की संरचना
30. राज्य पुलिस बोर्ड में निम्नलिखित होंगे:—
- (क) गृह मंत्री — अध्यक्ष
- (ख) प्रतिपक्ष के नेता अथवा, यथास्थिति, यदि विरोधीदल का नेता न हो तो राज्य की विधानसभा में अकेला सबसे बड़े विरोधीदल का नेता— सदस्य;
- (ग) मुख्य सचिव— सदस्य;
- (घ) गृह विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव— सदस्य;
- (ङ) पुलिस महानिदेशक— सदस्य;
- (च) शिक्षा, विधि, लोक प्रशासन, संचार माध्यम अथवा किसी अन्य क्षेत्र से सत्यनिष्ठा और सक्षमता के लिए प्रख्यात दो गैर राजनैतिक व्यक्ति (जिन्हें एतदपश्चात् "स्वतंत्र सदस्य" कहा गया है), जिन्हें इस अधिनियम के अधीन गठित चयन नामिका की संस्तुति पर नियुक्त किया जाना है— सदस्य; और
- (छ) भारतीय पुलिस सेवा के राज्य संवर्ग के एक पुलिस अधिकारी को, जिसका पद अपर पुलिस महानिदेशक से निम्न स्तर का नहीं होगा, राज्य सरकार द्वारा उसके सचिव के रूप में नामित किया जायेगा।
- स्वतंत्र सदस्यों के चयन के लिए नामिका की संरचना
31. राज्य पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य/सदस्यों को, चयन नामिका की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—
- (क) राज्य का मुख्यमंत्री,
- (ख) राज्य विधानसभा का अध्यक्ष,
- (ग) राज्य का गृह मंत्री,
- (घ) राज्य विधानसभा में विरोधीदल का नेता अथवा, यथास्थिति, यदि विरोधी दल का कोई नेता न हो तो राज्य के विधानसभा में अकेले सबसे बड़े विरोधी दल का नेता।
- स्वतंत्र सदस्यों की अपात्रता के आधार
32. कोई भी व्यक्ति राज्य पुलिस बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि वह —
- (क) भारत का नागरिक नहीं है ; या
- (ख) विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है या जिसके विरुद्ध किसी विधि न्यायालय में आरोप लगाये गये हैं; या
- राज्य पुलिस बोर्ड के कृत्य

- (ग) जिसकी भ्रष्टाचार या अवचार के आधार पर सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं अथवा जिसे सेवा से हटा दिया गया है अथवा सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुआ है; अथवा
- (घ) निर्वाचित राजनैतिक पद धारण करता है, जिसमें संसद अथवा विधानसभा अथवा स्थानीय निकाय का सदस्य सम्मिलित है अथवा किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित किसी संगठन या किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी है; या
- (ङ.) विकृत चित्त है।

33. किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसके एक कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा। स्वतंत्र सदस्य, बैठक फीस और बैठक के स्थान से आने-जाने के लिए परिवहन तथा बोर्ड द्वारा सौंपे गये किसी कार्य के सम्बन्ध में, जैसा कि समय-समय पर विहित किया जाए, यात्रा भत्ता का हकदार होगा।

34. (1) राज्य पुलिस बोर्ड के किसी स्वतंत्र सदस्य को, निम्नलिखित में से किसी कारण से, राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकेगा—
- (क) प्रमाणित अक्षमता; या
- (ख) प्रमाणित दुर्व्यवहार; या
- (ग) पर्याप्त कारण के बिना राज्य पुलिस बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहने पर ; या
- (घ) शारीरिक और मानसिक अशक्तता के कारण अक्षमता; या
- (ङ.) सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अन्यथा अयोग्य हो जाने पर ; या
- (च) चयन नामिका की सिफारिश पर।
- (2) इसके अतिरिक्त किसी स्वतंत्र सदस्य को राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस बोर्ड से हटाया जा सकता है, यदि वह इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी कारण अपात्रता प्राप्त कर लेता है।
- (3) इस प्रकार हटाये जाने के लिए राज्य सरकार लिखित रूप में कारण बतलायेगी।

35. राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन किया जायेगा, अर्थात:—

- (1) दक्ष, प्रभावी, उत्तरदायी तथा जवाबदेह पुलिस व्यवस्था के संवर्धन हेतु नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देशों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव तथा परामर्श देना;
- (2) निष्पादन संकेतकों को चिन्हित करने में, जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त प्रचालन दक्षता, जनता के समाधान, पीड़ित व्यक्ति के समाधान की तुलना में पुलिस अन्वेषण तथा प्रतिक्रिया, जवाबदेही, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और मानव अधिकार मानकों का पालन शामिल है, राज्य सरकार को सुझाव देना, और
- (3) उपरोक्त उप धारा (2) में चिन्हित निष्पादन संकेतकों के अनुसार, समय-समय पर पुलिस बल के कार्य निष्पादन की अभिवर्धन के उपाय सुझाना,

स्वतंत्र सदस्यों का कार्यकाल और पदाधिकार

स्वतंत्र सदस्य का हटाया जाना

राज्य पुलिस बोर्ड के कृत्य

- (4) निम्नलिखित के सापेक्ष, पुलिस के संगठनात्मक कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए सुझाव देना—
 (एक) निष्पादन संकेतक जो स्वयं राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा चिन्हित निर्धारित किये गये हैं,
 (दो) पुलिस के पास उपलब्ध संसाधन तथा प्रतिबन्ध।
- (5) पुलिस के कार्य से सम्बन्धित सूचना और आंकड़े संग्रह करने के नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देश सुझाना, तथा
- (6) पुलिस की दक्षता, प्रभाविता, जवाबदेही तथा अनुक्रियाशीलता के सुधार के लिए अर्थोपाय सुझाना।

पुलिस व
भूमिका,
तथा कर्त

राज्य पुलिस
बोर्ड का व्यय

36. पारिश्रमिक, भत्तों और राज्य पुलिस बोर्ड के सरकारी कार्य के सम्बन्ध में या और बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों से सम्बन्धित व्यय राज्य सरकार द्वारा इस संबंधित विहित नियमों के अनुसार वहन किया जायेगा।

राज्य पुलिस
बोर्ड की
वार्षिक रिपोर्ट

37. राज्य पुलिस बोर्ड, प्रत्येक वर्ष के अन्त में, गत वर्ष के दौरान अपने कार्य और पुलिस बल के कार्य के निष्पादन के मूल्यांकन से सम्बन्धित एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य की विधानसभा के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी।

पुलिस
अधिष्ठान
समिति

38. (1) राज्य सरकार, यथाशीघ्र, एक पुलिस अधिष्ठान समिति का गठन करेगी (जिसे एतदपश्चात् 'समिति' कहा गया है), जिसका पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष होगा और दो अन्य वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य होंगे, जिनका एक पुलिस महानिरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा।
- (2) अधिष्ठान समिति द्वारा निम्नलिखित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन किया जायेगा, अर्थात् —
- (क) अधीनस्थ पदों पर चयन तथा पदोन्नति के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना;
- (ख) अधीनस्थ अधिकारियों का एक रेंज से दूसरे में स्थानान्तरण;
- (ग) पुलिस उप अधीक्षक/पुलिस सहायक अधीक्षक के पदों अधिकारियों का स्थानान्तरण;
- (घ) क्षेत्र में कार्यरत पुलिस अपर अधीक्षक और उससे उच्चतर पदों पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण और तैनाती के सम्बन्ध राज्य सरकार को सिफारिश करना;
- (ङ) अधीनस्थ अधिकारियों का एक पुलिस जिले से दूसरे स्थानान्तरण के लिए मार्गनिर्देश/अनुदेश विहित करना; तथा
- (च) पुलिस कार्मिकों की शिकायतों का विश्लेषण तथा निराकरण, जहाँ आवश्यक हो, राज्य सरकार को सुधार के उपाय सुझाना।
- (3) राज्य सरकार, जिन मामलों में उचित समझे, ऐसे कारणों से, जो लिखित हों, का उल्लेख करते हुये, समिति के निर्णय में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है।

अध्याय – पांच

पुलिस की भूमिका, कृत्य तथा कर्तव्य

पुलिस की
भूमिका, कृत्य
तथा कर्तव्य

39. (1) सामान्यतः पुलिस की निम्नलिखित सांकेतिक भूमिका और कृत्य, सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार होंगे:—
- (क) निष्पक्षतापूर्वक विधि को लागू करना और उसकी मर्यादा बनाए रखना, जनता के जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति, मानव अधिकार और गरिमा का संरक्षण ;
- (ख) कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में सहायता करना;
- (ग) आन्तरिक सुरक्षा का संरक्षण, आतंकवादी गतिविधियों, सामुदायिक समन्वय के भंग होने, युद्धमान गतिविधियों तथा अन्य आन्तरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियों का निवारण और नियंत्रण;
- (घ) सड़कों, रेलों, पुलों की संरचनाओं तथा अधिष्ठान इत्यादि सार्वजनिक सम्पत्तियों की विध्वंसक कार्यों या किसी प्रकार के आक्रमण से संरक्षण;
- (ङ) अपराध निवारण तथा उनके निवारक कार्यों और उपायों तथा अपराध निवारण हेतु सम्यक उपायों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिकरणों के साथ-साथ सहयोग तथा सहायता द्वारा अपराध की घटनायें घटित होने के अवसरों को कम करना;
- (च) किसी शिकायतकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा, ई-मेल अथवा अन्य साधनों से प्राप्त समस्त शिकायतों का सम्यक रूप से पंजीकरण करना और शिकायत की प्राप्ति की सम्यक रूप से अभिस्वीकृति के पश्चात उस पर तुरन्त अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- (छ) ऐसी शिकायतों अथवा अन्यथा द्वारा उसके संज्ञान में आने वाले संज्ञेय अपराधों का पंजीकरण और अन्वेषण, शिकायतकर्ता को प्राथमिकी की प्रति सम्यक रूप से प्रदान कर और जहां उचित हो, अपराधियों को हिरासत में लेना और विधि अनुसार अन्वेषण संचालित करना;
- (ज) जनसमुदाय में सुरक्षा की भावना पैदा करना और उसे बनाये रखना तथा यथासम्भव संघर्ष/आन्दोलन को रोकना और सौहार्द को बढ़ावा देना;
- (झ) प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में लोगों को यथासम्भव सहायता प्रदान करना और राहत तथा पुनर्वास उपायों में अन्य अभिकरणों को त्वरित सहायता प्रदान करना;

- (ज) ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना, जिनके शरीर या सम्पत्ति को अपहानि का खतरा हो और कष्टप्रद स्थितियों में पड़े व्यक्तियों को आवश्यक राहत और सहायता प्रदान करना;
- (ट) जनता और वाहनों की व्यवस्थित रूप से आने-जाने को सुविधाजनक बनाना तथा सड़कों और महामार्गों पर यातायात का नियंत्रण और विनियमन;
- (ठ) सार्वजनिक शान्ति और सभी प्रकार के अपराधों के सम्बन्ध में, जिसमें सामाजिक अपराध भी शामिल हैं, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों के सम्बन्ध में अभिसूचना एकत्र करना, स्वयं उन पर कार्यवाही करने के अतिरिक्त समस्त सम्बन्धित अभिकरणों, जो विहित किये जायें, में उसे प्रचारित करना;
- (ड) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन, जो उन्हें राज्य सरकार अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे निदेश जारी करने के लिए सशक्त किया गया है, सौंपे गए हैं;
- (ढ) पुलिस थाने में आभ्यासिक अपराधियों और संगठित अपराध में अन्तर्वलित व्यक्तियों का अभिलेख रखना और उसको प्रदर्शित करना;
- (ण) जिला और राज्य स्तर पर आभ्यासित अपराधियों और संगठित अपराध में अन्तर्वलित व्यक्तियों का अद्यावधिक अभिलेख रखना।
- (2) पुलिस अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी की हैसियत से, समस्त अदावित (लावारिस) चल सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेगा और धारा 46 के उपबन्धों के अनुसार उनकी सुरक्षित अभिरक्षा और उसके निस्तारण के लिए कार्यवाही करेगा।

राजस्व पुलिस क्षेत्र में कृत्य

40. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, अपराधों के वैज्ञानिक अन्वेषण, भीड़ का विनियमन और राहत, राहत कार्य और ऐसे अन्य प्रबन्ध, जैसा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपवादिक परिस्थितियों में जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से निदेश दिया जाये, पुलिस बल और सशस्त्र पुलिस इकाइयों द्वारा ऐसी सहायता देना एवं अन्वेषण करना, जो राजस्व पुलिस क्षेत्र में अपेक्षित हो, विधि सम्मत होगा।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी के कर्तव्यों का पालन

41. कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उसके अधीनस्थ अधिकारी को विधि अथवा विधि सम्मत आदेश द्वारा सौंपे गये किसी कर्तव्य का निर्वाह कर सकेगा। जहां कानून को व्यापक रूप से लागू करने या उसके किसी उल्लंघन से बचने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो, तो वह स्वयं अपने अथवा विधि सम्मत रूप से उसकी कमान और प्राधिकार के अधीन विधि सम्मत कार्यवाही करने वाले

लिस
धिकारि
यूटी औ
नकी तै

लिस अ
किसी
योजन
होना

लिस
धिकारी
यूटी अ
मुख न

लिस अ
रा सूच
स्तुतीक

लिस आ
रा ऐसी
लावारिस
म्पत्ति क
ब्जे में
किसी वा
म्बन्धित
ही है

लिस
धिकारि
निकी(ह
खा जा

राज्य स
वेवरणित
रूप वि
सकेगी

दिंयां, र
विन्ह, स
आदि

अधीनस्थ व्यक्ति के कार्य से उसकी कार्यवाही में सहायता कर सकता है, उसे अनुपूरित, अधिक्रान्त अथवा उसको रोक सकता है।

पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी और उनकी तैनाती

42. इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक पुलिस अधिकारी निरन्तर ड्यूटी पर समझा जायेगा और किसी भी समय, राज्य के किसी भाग में या राज्य के बाहर पुलिस अधिकारी के रूप में उसे तैनात किया जा सकता है।

पुलिस अधिकारी या किसी अन्य नियोजन में प्रवृत्त होना

43. कोई भी पुलिस अधिकारी, जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित रूप में विशिष्ट रूप से अनुमति न दे दी जाये, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी अन्य नियोजन या कार्यालय में, चाहे जो भी हो, कार्य नहीं करेगा।

पुलिस अधिकारी का ड्यूटी आदि से मुक्त न होना

44. कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से विमुख नहीं होगा।

पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का प्रस्तुतीकरण

45. किसी क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी सूचना को प्रस्तुत करने और सम्मन, वारण्ट, तलाशी का वारण्ट या ऐसी अन्य आदेशिका के लिए, जो किसी अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि द्वारा जारी की जा सकती है, आवेदन करना किसी भी पुलिस अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसी अदावित (लावारिस) चल सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेना जो किसी वाद से सम्बन्धित सम्पत्ति नहीं है

46. समस्त अदावित (लावारिस) चल सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेना और उसकी सूची उस पुलिस अधीक्षक, को जो उसे विहित रीति से निस्तारित करने के लिए सक्षम होगा, प्रस्तुत करना, प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा तथा वह सक्षम आधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालय को उस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सूचित करेगा।

पुलिस अधिकारियों द्वारा निकी (डायरी) खोजा जाना

47. पुलिस थाने के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह एक साधारण डायरी ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से रखे, जो समय-समय पर विहित की जाये।

राज्य सरकार विवरणियों का रूप विहित करेगी

48. राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक तथा अन्य अधिकारियों द्वारा, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, विवरणियां प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है तथा ऐसी विवरणी के प्ररूप, जिनमें विवरणी तैयार की जानी है, विहित कर सकेगी।

वर्दियां, पद चिन्ह, सज्जा आदि

49. (1) राज्य सरकार, पुलिस अधिकारियों अथवा यथास्थिति, किसी वर्ग के पुलिस अधिकारियों के लिए वर्दी, पदचिन्ह और सज्जा विहित कर सकेगी।
(2) पुलिस महानिदेशक, समय-समय पर वर्दियां पहनने और पदचिन्ह तथा सज्जा धारण करने के लिए निदेश जारी कर सकेगा।

अध्याय—छः

पुलिस व्यवस्था के लिए विशेष प्राविधान

- विशेष अपराध
अन्वेषण
इकाईयां
50. (1) राज्य सरकार, एक अधिकारी के अधीन, जिसका पद पुलिस निरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा, पुलिस जिले, अथवा पुलिस हेतु विशेष अपराध अन्वेषण इकाई सृजित कर सकती है और ऐसे अपराध भी विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिनके विषय में ऐसी इकाईयों अन्वेषण कार्य करना होगा।
- (2) ऐसी इकाईयों में तैनात पुलिस अधिकारियों को, पुलिस महानिदेशक लिखित अनुमति से, अत्यन्त विशेष परिस्थितियों के सिवाय, किसी अड्यूटी पर नहीं लगाया जायेगा।
- (3) विशेष अपराध अन्वेषण इकाईयों द्वारा, अन्य ऐसे अपराधों के विषय में अन्वेषण किया जा सकेगा, जो पुलिस महानिदेशक के साधारण और विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।
- सार्वजनिक
स्थलों के
आरक्षण और
अवरोध
(बैरियर)
निर्माण करने
की शक्ति तथा
सार्वजनिक
स्थलों पर
संगीत तथा
ध्वनि संयन्त्रों
के प्रयोग को
नियन्त्रित
करना:
51. (1) ऐसी जाँच और प्रतिबन्धों के अधीन, जो राज्य सरकार अथवा इ प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जा पुलिस अधीक्षक, सार्वजनिक सूचना द्वारा, किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किसी गली या अन्य सार्वजनिक स्थल को अस्थायी रूप से आरक्षित कर सकता है और ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, जो विनिर्दिष्ट की जा जनता को इस प्रकार आरक्षित स्थलों में प्रवेश करने से रोक सकता है
- (2) पुलिस अधीक्षक किसी पुलिस अधिकारी को:—
- (क) विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु सार्वजनिक मार्गों और गलियों अवरोध और आवश्यक संरचनाओं के निर्माण के लिए,
- (ख) किसी विधि के उल्लंघन के लिए वाहनों और उनमें बैठे व्यक्तियों की जांच करने के लिए;
- प्राधिकृत कर सकेगा।
- (3) जिले के पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य किसी अधिकारी, जो सहायक/उप अधीक्षक पुलिस से न्यून स्तर का न हो, द्वारा, किसी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थल पर अथवा उसके निकट हो रहे किसी प्रस्तुतीकरण या अन्य गतिविधि, जिससे कि स्थानीय निवासियों को क्षुब्धता हो, के सम्बन्ध में प्रयुक्त हो रहे संगीत एवं अन्य ध्वनि उपकरणों के प्रयोग का समय अथवा उनकी ध्वनि तीव्रता का निर्धारण किया जा सकता है।
- विधि और
व्यवस्था
बनाये रखना:
52. (1) पुलिस जिले के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की सहमति से, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, निम्नलिखित के सम्बन्ध में साधारण और विशेष आदेश जारी कर सकेगा:—

- (क) लोक आमोद-प्रमोद और लोक- मनोरंजन स्थलों का विनियमन और यदि लोक हित में आवश्यक हो तो किसी स्थान को लोक आमोद-प्रमोद और लोक-मनोरंजन तथा अन्य प्रकार के लोक-मनोरंजन के लिए किसी स्थान का उन व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, जिनके प्रभावित होने की सम्भावना हो, प्रतिषेध, जिसके कारण लेखबद्ध किये जायेंगे;
- (ख) लोक आमोद-प्रमोद, लोक-मनोरंजन या किसी सार्वजनिक सभा के स्थान अथवा जन समूह में प्रवेश और निकास विनियमित करना और सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने की व्यवस्था करना तथा ऐसे स्थानों पर उपद्रव की रोकथाम;
- (ग) किसी सार्वजनिक मार्ग, गली या आम रास्ते पर जन समूह और जुलूसों को विनियमित करना तथा ऐसे मार्ग, जिनसे ऐसे जुलूस गुजर सकेंगे, उनका समय निर्धारित करना;
- (घ) ऐसे व्यक्ति का, जो किसी मार्ग, गली या आम रास्ते पर कोई जुलूस या किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा आयोजित करना चाहता है, यह कर्तव्य होगा कि वह जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और सम्बन्धित थाने के प्रभारी को सूचित करे;
- (ङ) यदि उपरोक्त खण्ड (घ) में उल्लिखित किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है या सूचना प्राप्त होने और समाधान होने पर, कि यदि ऐसे जुलूस या जनसमूह को नियंत्रित या विनियमित किए बिना अनुमति दी जाती है, उससे शान्ति भंग होने की सम्भावना होती है, तो वह आवश्यक शर्तें, जिनमें संतोषजनक विनियमन, प्रबन्ध भी शामिल है, विहित कर सकता है। केवल उन्हीं शर्तों पर ऐसा जनसमूह या जुलूस निकाला जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में और ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाये, जनहित में ऐसे जनसमूह या जुलूस को प्रतिषेध किया जा सकेगा;
- (च) यदि किसी जनसमूह या जुलूस द्वारा उपरोक्त खण्ड (ङ) के अधीन किसी आदेश की उपेक्षा या अवज्ञा की जाती है, तो उसे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय-आठ के अधीन "अविधिमान्य" जनसमूह समझा जायेगा।
- (2) तथापि, आपवादिक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में, थाने का भार साधक अधिकारी, संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की सहमति से, उपधारा (1) से संबंधित मामलों में कार्यवाही करेगा।
- (3) पुलिस अधीक्षक, प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित आदेश द्वारा प्रत्येक मकान, दुकान, सार्वजनिक परिसर से यह अपेक्षा कर सकेगा कि

वह विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किरायेदार अथवा घरेलू नौकर का विवरण प्रस्तुत करे।

- (4) जिला पुलिस अधीक्षक किसी व्यक्ति से, जो किसी धन संबंधी लाभ के लिए ऐसा कोई भी व्यवसाय, जलसा, प्रदर्शनी, विक्रय, मनोरंजन इत्यादि आयोजित करता है, जिसमें लोक सुरक्षा के प्रयोजन के लिए या लोक शांति या व्यवस्था बनाये रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की आवश्यकता हो, तो ऐसा उपयोक्ता प्रभार उद्गृहीत कर सकेगा, जो विहित किया जाए।

यातायात का
विनियमन

53. पुलिस अधीक्षक, मोटर चालकों, साइकिल चलाने वालों, पैदल चलने वाले और जानवरों के साथ चलने वाले व्यक्तियों तथा बाइसिकिल सहित वाहनों के पार्किंग के लिए, यातायात की सुव्यवस्थित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सार्वजनिक मार्गों और गलियों के उपयोग को विनियमित करने के लिए, समय-समय पर निदेश जारी कर सकेगा।

साक्षी का
संरक्षण

54. (1) राज्य सरकार, यथाशीघ्र, मानव अधिकार संरक्षण के उपाय के रूप में साक्षी के संरक्षण के लिए नियम बनायेगी।
- (2) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में साक्षी को ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन, जो विहित किये जायें, संरक्षित साक्षी घोषित करने के लिए आवेदन दे सकता है।
- (3) साक्षी के संरक्षण के लिए अन्य बातों के अतिरिक्त निम्न शामिल हैं :-
- (क) आवश्यक प्रबन्ध करना;
- (एक) साक्षी को नई पहचान स्थापित करने के लिए अनुमति देने; अथवा
- (दो) साक्षी एवं उसके परिवार को अन्यथा संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।
- (ख) साक्षी की पुनर्स्थापना;
- (ग) साक्षी के लिए आवास प्रदान करना;
- (घ) साक्षी की सम्पत्ति के लिए परिवहन व्यवस्था करना;
- (ङ) साक्षी को युक्तियुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- (च) साक्षी संरक्षण कार्यक्रम में, प्रशासन से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के पालन में कल्पित नाम का उपयोग करने और इन कल्पित नामों के समर्थन में प्रलेखीकरण की अनुमति प्रदान करना;
- (छ) साक्षी संरक्षण से सम्बन्धित भारत और विदेशी राज्य के बीच हुए करार अथवा व्यवस्था के अनुसरण में, उत्तराखण्ड में उपस्थित विदेशी साक्षी के सम्बन्ध में, खण्ड (क) से (च) तक में उल्लिखित कोई उपाय करना;

का

क्षेत्र
को के

का रक्ष
निक
कर्ता हो

(ज) कोई अन्य कार्य करना, जिसे राज्य सरकार साक्षी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझती है।

- (4) इस धारा के प्रवर्तन में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे।
55. (1) राज्य सरकार अपराधी पक्ष से पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सहायता के रूप में समुचित उपाय विहित कर सकेगी।
- (2) राज्य सरकार, ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगी, जैसा वह इस धारा के प्रवर्तन में कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझे।
56. (1) एक पुलिस जिले के प्रत्येक गांव अथवा गांवों के समूह में, इस निमित्त विहित नियमों के अनुसार, विहित कार्यकाल के लिए, पुलिस अधीक्षक द्वारा भर्ती किया गया एक रक्षक होगा।
- (2) गांव अथवा सम्बन्धित गांवों के समूह में रहने वाला 30 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग का स्वस्थ व्यक्ति, निम्नानुसार, निर्धारित वरीयता के क्रम में, रक्षक के रूप में भर्ती किये जाने के लिए पात्र होगा:-
- (क) भूतपूर्व सैनिक/भूतपूर्व अर्द्धसैनिक;
- (ख) होमगार्ड स्वयं सेवक/प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0);
- (ग) ऐसा खिलाड़ी, जिसने राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व किया है; तथा
- (घ) अन्य कोई व्यक्ति।
- (3) किसी भी ऐसे व्यक्ति को भर्ती नहीं किया जायेगा, जो निम्नलिखित निर्धारित निरर्हताएं रखता हो:-
- (क) वह नैतिक अधमता से सम्बन्धित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;
- (ख) उसके विरुद्ध आपराधिक आरोप से सम्बन्धित मामले पर या तो विचार किया जा रहा है या मामला अन्वेषणाधीन है।
- (4) ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्ध किसी व्यक्ति की पदावधि 3 वर्ष की होगी। जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा यह पदावधि बढ़ायी या नवीकृत की जा सकती है; परन्तु किसी भी ग्राम रक्षक को, उसकी सूचीबद्धता के चालू रहने के दौरान, उसके समनुदेशन से हटाया जा सकेगा, यदि वह उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अपात्रताओं में से कोई भी उपगत करता है या ग्राम रक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में उपेक्षा करता पाया जाता है।
57. (1) गांव का रक्षक एक अवैतनिक कार्यकर्ता होगा और उसे लोक सेवक समझा जायेगा, जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1860) में परिभाषित है।
- (2) उसे ऐसा मानदेय और जेबखर्च का भुगतान किया जा सकता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये।

सु
गा
पो
गा
का
और
के
व
क्षेत्रों
में
को
की
रि
के
ज
वा
गा
का
गौर
नि
हु
का रक्षक
निक
प्र
कर्ता होगा

गांव के रक्षक
की पहचान

58. (1) पुलिस जिले में, प्रत्येक रक्षक को, पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकारी द्वारा, पहचान के लिए एक बैज, वर्दी और एक फोटो पहचान पत्र किया जायेगा।
- (2) ऐसा व्यक्ति गांव का रक्षक न रहने पर, पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, पहचान का बैज, वर्दी, फोटो पहचान पत्र और गांव के रक्षक के रूप में उसके द्वारा रखे गये समस्त अभिलेख और दस्तावेज तत्काल सुपुर्द करेगा।

रक्षक के कर्तव्य
और उत्तरदायित्व

59. रक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात्:-
- (1) गांव में किसी अपराध के घटने पर या विधि और व्यवस्था की परिस्थिति के सम्बन्ध में, पुलिस थाने में यथाशीघ्र रिपोर्ट करना और अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करना;
- (2) अपराध निवारण अथवा विधि और व्यवस्था की समस्या के निवारण की दृष्टि से, गांव में सामान्य निगरानी रखना तथा उसके सम्बन्ध में पुलिस थाने को तत्परता से सूचित करना;
- (3) किसी संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्तियों के आने-जाने अथवा गांव में किसी षडयंत्र के सम्बन्ध में, जिससे अपराध अथवा विधि और व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो, किसी सूचना के प्रति सतर्क और संवेदनशील रहना और ऐसी सूचना को पुलिस थाने में तत्परता से पहुंचाना;
- (4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 43 के अधीन, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शस्त्रों, गोला बारूद, सम्पत्ति या किसी आपत्ति जनक अथवा संदिग्ध वस्तु, यदि कोई हो, जो उससे अधिगृहीत की गयी हो, गिरफ्तार करने या पुलिस थाने को सौंपने में किसी नागरिक की अविलम्ब सहायता करना। यदि गिरफ्तार व्यक्ति कोई महिला हो तो पुरुष रक्षक के साथ एक महिला जायेगी;
- (5) पुलिस के आने तक अपराध के स्थल की सुरक्षा और परिरक्षण सम्यक् रूप से यह सुनिश्चित करना कि उसके साथ उत्सुक दर्शकों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छेड़खानी नहीं की जाती है;
- (6) पुलिस अधीक्षक द्वारा साधारण और विशेष आदेश के माध्यम से विहित गांवों में ऐसी गतिविधियों और घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए, जिनका अपराध, विधि और व्यवस्था तथा अन्य पुलिस व्यवस्था से सम्बन्ध होगा, न्यूनतम अवधियों के अन्तराल पर पुलिस थाने के प्रभारी से भेंट करना;
- (7) विहित अभिलेख और रजिस्ट्रों को रखना;

रक्षा

दायित्व
क स

प्रा
त्र
रा
त्र
ौर
रक्षा
ति
को
की
स
में
था
ौर
से
या
क
हो
की
तो
क
वा
इत
ए.
से
री

- (8) पुलिस व्यवस्था से सम्बन्धित जनता की शिकायतों और प्रतिवादों को रिकार्ड करना और गांव में अपराध तथा विधि और व्यवस्था से सम्बन्धित मामलों पर ग्राम पंचायत से सम्पर्क बनाना; तथा
- (9) ऐसे अन्य साधारण कर्तव्यों का पालन करना, जैसा जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक निदेश दे।
60. पुलिस अधीक्षक, जब कभी अपेक्षित हो, निवारक गश्त लगाने, अपराध कम करने के उपायों को बढ़ावा देने और विहित रीति से पुलिस को उसके कार्य में साधारणतः सहायता करने के लिए, किसी भी गांव के लिए ग्राम सुरक्षा दल के निर्माण हेतु स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों के एक समूह को संगठित कर सकता है।
61. (1) जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस बल की उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों से गठित एक या अधिक समुदाय सम्पर्क समूह विहित रीति से गठित करेगा।
- (2) समुदाय सम्पर्क समूह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और उसके ऐसे उत्तरदायित्व होंगे, जो विहित किये जायें।

अध्याय—सात

सार्वजनिक व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के सदर्थ में पुलिस व्यवस्था

आंतरिक
सुरक्षा
योजनाएं

62. (1) पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के अनुमोदन से, सार्वजनिक व्यवस्था और सम्पूर्ण राज्य की सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं, के समाधान हेतु आंतरिक सुरक्षा योजना बनाएगा। जिले की आन्तरिक सुरक्षा योजनाएं, जिले के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जायेगी।
- (2) आंतरिक सुरक्षा योजनाओं का आवश्यकतानुसार, कम से कम तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन किया जाएगा;
परन्तु यह कि पुनर्विलोकन का कार्य पूर्ववर्ती पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पहले पूरा किया जा सकता है।
- (3) आंतरिक सुरक्षा योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी महत्वपूर्ण अवस्थापना, यदि उस क्षेत्र में स्थित हो तो, उसके अधिष्ठान या स्थापना की सुरक्षा के सम्बन्ध में सिविल प्रशासन तथा पुलिस की भूमिका को भी शामिल किया जायेगा।
- (4) आंतरिक सुरक्षा योजना तैयार करते समय पुलिस महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेट, और पुलिस अधीक्षक, यथास्थिति, विशिष्ट विधि और व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं की आकस्मिकताओं और सुरक्षा की आवश्यकताओं को भी, जो ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती हैं, ध्यान में रखेंगे।
- (5) आंतरिक सुरक्षा योजनाओं में, नागरिक प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए, नियमित रूप से अध्यावधिक तथा व्यापक मानक परिचालन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाएगा।

पुलिस
जवाबदे
लिए अ
तंत्रराज्य पु
शिकाय
प्राधिकरप्राधिकर
संरचनासदस्यता
लिए अपा

अध्याय—आठ

पुलिस की जवाबदेही

पुलिस की
जवाबदेही के
लिए अतिरिक्त
तंत्र

63. वर्तमान तंत्रों और विभागीय प्राधिकारियों के कृत्यों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त, पुलिस की जवाबदेही, इस अध्याय में वर्णित अतिरिक्त तंत्र के माध्यम से और अधिक सुनिश्चित की जायेगी।

आचरण के लिए जवाबदेही

64. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के छः महीने के अन्दर, गम्भीर अवचार के लिए पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध जनता की शिकायतों की जाँच करने के लिए तथा ऐसे अन्य कृत्यों के निष्पादन के लिए, जो इस अध्याय में निर्धारित किये गये हैं, एक राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (जिसे एतदपश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष तथा अधिकतम चार अन्य सदस्य होंगे।

राज्य पुलिस
शिकायत
प्राधिकरण

65. (1) प्राधिकरण में, सत्यनिष्ठा और मानव अधिकारों के प्रति वचनबद्धता के विश्वसनीय रिकार्ड वाले, अधिकतम 5 सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। इनमें निम्नलिखित होंगे :-

प्राधिकरण की
संरचना

(क) लोक व्यवहार में अनुभवी, प्रख्यात तथा सत्यनिष्ठा और मानव अधिकारों के प्रति वचनबद्धता के विश्वसनीय रिकार्ड वाले 4 व्यक्ति, स्वतन्त्र सदस्यों के रूप में;

(ख) अधिवार्षिकी के कारण सेवानिवृत्त एक पुलिस अधिकारी, जिसका पद पुलिस महानिरीक्षक से निम्न स्तर का नहीं होगा;

(2) प्राधिकरण का कम से कम एक सदस्य महिला होगी और एक से अधिक सदस्य पुलिस अधिकारी नहीं होगा;

(3) चार स्वतंत्र सदस्यों में से एक सदस्य ऐसे होंगे, जिन्हें विधि क्षेत्र का समुचित ज्ञान हो।

(4) राज्य सरकार, स्वतन्त्र सदस्यों में से किसी एक सदस्य को प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

ला
था
ओं

ज्य
ए,
को

सदस्यता के
लिए अपात्रता

66. कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह—
(क) भारत का नागरिक नहीं है;
(ख) उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक है;

- (ग) किसी पुलिस, सैन्य अथवा सम्बद्ध संगठन में कार्यरत है;
- (घ) लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहा है;
- (ङ.) किसी निर्वाचित पद पर कार्य कर रहा है, जिसमें सांसद अथवा विधायक या स्थानीय निकाय का सदस्य भी शामिल है;
- (च) किसी ऐसे संगठन का सदस्य है या किसी प्रकार से उससे सम्बद्ध है, जिसे विद्यमान विधि के अधीन विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया है;
- (छ) किसी राजनैतिक दल का सदस्य अथवा पदाधिकारी है;
- (ज) किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या जिसके विरुद्ध किसी विधि न्यायालय द्वारा आरोप लगाये गये हैं, अथवा
- (झ) विकृत चित्त का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है।

अध्यक्ष और
सदस्यों की
पदावधि और
सेवा शर्तें

67. (1) किसी सदस्य और अध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष होगी, जब तक कि वह :-
- (क) अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले किसी समय त्यागपत्र नहीं देता; अथवा
- (ख) उसे धारा 68 में उल्लिखित किसी कारण से उसके पद से न हटा दिया जाए।
- (2) अध्यक्ष तथा सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- (3) सदस्यों का पारिश्रमिक, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें तथा निबंधन ऐसे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

अध्यक्ष और
सदस्यों का पद
से हटाया
जाना

68. प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को राज्यपाल के आदेश द्वारा, निम्नलिखित कारण से, उसके पद से हटाया जा सकेगा:-
- (क) प्रमाणित अवचार अथवा दुर्व्यवहार;
- (ख) प्राधिकरण के कर्तव्यों के पालन में निरन्तर उपेक्षा;
- (ग) किसी ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न होना, जिसके कारण कोई सदस्य धारा 66 के अधीन प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए अपात्र हो जायेगा; या
- (घ) किसी सदस्य द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने पद पर कार्य करते हुए कोई अन्य वैतनिक नियुक्ति प्राप्त करना।

प्राधिकरण के
कर्मचारी

69. (1) राज्य सरकार प्राधिकरण के सदस्यों के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी।
- (2) कर्मचारियों की संख्या राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।
- (3) प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों का चयन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जो सरकार द्वारा विहित की गयी है।

- (4) कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा शर्तें और निबंधन समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे।
70. प्राधिकरण अपने कार्य संचालन के लिए, राज्य सरकार के अनुमोदन से, स्वयं नियम बनायेगा।
71. (1) प्राधिकरण, उसके द्वारा सीधे प्राप्त अवचार की शिकायतें, आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस महानिदेशक को अग्रसारित करेगा, परन्तु गुमनाम शिकायतों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
- (2) प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध "गम्भीर अवचार" की शिकायतें प्राप्त होने पर आरोपों की जांच कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:

इस अध्याय हेतु 'गम्भीर अपचार' से किसी पुलिस अधिकारी का कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसके कारण:-

- (क) पुलिस हिरासत में मृत्यु;
- (ख) गम्भीर चोट, जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 320 में परिभाषित है;
- (ग) बलात्कार अथवा बलात्कार का प्रयास;
- (घ) विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या निरोध;
- (ङ.) मानव अधिकारों का उल्लंघन; या
- (च) भ्रष्टाचार;

के आरोप लगाये जा सकते हों।

- (3) प्राधिकरण, राज्य सरकार या पुलिस महानिदेशक द्वारा उसको निर्दिष्ट, किसी अन्य मामले की भी जांच कर सकता है, यदि प्राधिकरण की राय में मामला स्वतंत्र जांच के योग्य है।
- (4) प्राधिकरण, पुलिस महानिदेशक से समय-समय पर प्राप्त तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से, राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध अवचार की शिकायतों पर विभागीय कार्यवाही अथवा विभागीय जांचों की प्रास्थिति का अनुश्रवण कर सकेगा तथा ऐसे मामलों में कार्यवाही पूरी करने के लिए राज्य सरकार को समुचित परामर्श दे सकता है।
- (5) प्राधिकरण, किसी शिकायतकर्ता के द्वारा की गयी 'अवचार' की शिकायत, जिसे पूर्व में परिभाषित किया गया है, की किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही विभागीय जांच की प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब होने या उसके परिणाम से असंतुष्ट होने के किसी मामले के संज्ञान में आने पर, पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांग सकता है, आगे की कार्यवाही के लिए समुचित परामर्श जारी कर सकता है अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा नये सिरे से पुनः जांच कराने के लिए निदेश जारी कर सकता है।
- (6) प्राधिकरण, पुलिस कार्मिकों के अवचार के कृत को रोकने के लिए, राज्य पुलिस के लिए सामान्य मार्ग निर्देश सुझा सकता है।

- प्राधिकरण की शक्तियाँ
72. (1) प्राधिकरण, विधिक विशेषाधिकार के अधीन, ऐसे बिन्दुओं या मामलों पर किसी व्यक्ति से सूचना प्रदान करने की अपेक्षा करने के लिये अधिकृत होगा, जो प्राधिकरण की राय में जांच के विषय में उपयोगी अथवा संग्रहीत हो सकती है और ऐसा व्यक्ति, जिससे ऐसी अपेक्षा की गयी है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 176 और 177 के अर्थान्तर्गत ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए बाध्यकारी होगा।
- (2) प्राधिकरण को, इस अध्याय के अन्तर्गत, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होगी।
- (3) ऐसे मामलों में, जिनमें प्राधिकरण द्वारा सीधे जांच की जा रही हो, प्राधिकरण जांच पूर्ण होने पर, अपने निष्कर्ष से राज्य सरकार को सूचित कर सकेगी और समुचित कार्यवाही की सिफारिश कर सकेगी।
- प्राधिकरण की रिपोर्टें
73. (1) प्राधिकरण, प्रत्येक कलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित का समावेश होगा:-
- (क) "गम्भीर अवचार" के मामलों की संख्या और प्रकार, जिनके उसके द्वारा जांच की गयी;
- (ख) "गम्भीर अवचार" के मामलों की संख्या और प्रकार, जो उस शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की विभागीय जांच से असंतुष्ट होकर पर संदर्भित किए गए;
- (ग) उपरोक्त (ख) में निर्दिष्ट मामलों सहित, ऐसे मामलों की संख्या और प्रकार, जिनमें उसके द्वारा पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए परामर्श और निदेश दिया गया;
- (घ) राज्य में पुलिस कार्मिकों के द्वारा किये गये अवचार का स्वरूप जिन्हें चिन्हित किया गया है; तथा
- (ङ) पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के उपायों से सम्बन्धित सिफारिशें।
- (2) प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य की विधानसभा के समक्ष रखी जायेगी। रिपोर्ट एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा, जो जनता को उपलब्ध होगा।
- (3) प्राधिकरण, उन विशेष मामलों के सम्बन्ध में, जिनकी उसके द्वारा सीधे जांच की गयी, विशेष रिपोर्ट भी तैयार कर सकता है। वे रिपोर्टें भी जनता को उपलब्ध करायी जायेंगी।
- शिकायत कर्ता के अधिकार
74. (1) कोई भी व्यक्ति पुलिस कार्मिकों के किसी 'अवचार' अथवा 'गम्भीर अवचार' से सम्बन्धित शिकायत प्राधिकरण में दर्ज करा सकेगा; परन्तु यह कि प्राधिकरण द्वारा कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जायेगी, यदि विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी न्यायालय द्वारा उस शिकायत की विषयवस्तु की जांच की जा रही है।

- पु
कृ
संग
ती
चर
- ह
चि
- सदभावपूर्वक
पोकेये गये कार्य
वेके प्रति संरक्षण
- क
उ
नो
त पोषण
- ख
व
रूप
- ।
ख
ग
लिस
धिकारियों का
कल्याण
- मी
लिस कल्याण
क्यूरो
- र
- ।
- (2) उन मामलों में, जहां किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस प्राधिकारियों से शिकायत की गयी है, वह, विभागीय जांच की किसी अवस्था में, जांच प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब के विषय में प्राधिकरण को सूचित कर सकता है।
- (3) शिकायतकर्ता को, जांच प्राधिकारी (सम्बन्धित पुलिस प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण) द्वारा जांच की प्रगति के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचित किये जाने का अधिकार होगा। जांच अथवा विभागीय कार्यवाही के पूर्ण होने पर शिकायतकर्ता को उसके निष्कर्षों के सम्बन्ध में यथाशीघ्र सूचित किया जायेगा।

75. राज्य सरकार, राज्य पुलिस बोर्ड, उसके सदस्य और कर्मचारी, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उसके सदस्य और कर्मचारी या बोर्ड अथवा प्राधिकरण के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गयी या इस आशय से की जाने वाली किसी बात के सम्बन्ध में, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

76. कृत्यों के दक्षतापूर्वक निष्पादन के लिए, राज्य के बजट के समुचित मुख्य शीर्ष में पृथक संघटक, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, प्रदान किया जायेगा।

अध्याय-नौ

कल्याण और शिकायतों का निवारण

77. (1) पुलिस महानिदेशक, अपने पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों के लिए कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) राज्य सरकार, इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक को परामर्श देने और उसकी सहायता के लिए एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकती है।
78. (1) एक पुलिस कल्याण ब्यूरो होगा (जिसे एतदपश्चात् "ब्यूरो" कहा गया है), जिसका प्रधान एक ऐसा अधिकारी होगा, जिसका पद पुलिस उप महानिरीक्षक से निम्न स्तर का नहीं होगा।
- (2) अन्य बातों के अतिरिक्त, ब्यूरो के कृत्य और कर्तव्यों में पुलिस कार्मिकों के लिए कल्याणकारी उपायों का प्रशासन और अनुश्रवण शामिल है, यथा—
- (क) चिकित्सा, विशेषकर पुरानी और गम्भीर बीमारियों की चिकित्सा, जिसमें सेवा निवृत्ति के पश्चात् पुलिस अधिकारियों और अन्य कार्मिकों तथा उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा योजनायें, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं, शामिल हैं;

- (ख) इयूटी के दौरान चोट लगने पर पुलिस अधिकारियों और अन्य कार्मिकों को चिकित्सा सहायता, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय;
- (ग) सेवा करते समय मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को वित्तीय सहायता, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय ;
- (घ) पुलिस अधिकारियों और अन्य कार्मिकों के आश्रितों के लिए उपयुक्त शिल्प में शिक्षा, व्यावसायिक परामर्श तथा प्रशिक्षण, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, और
- (ङ.) सद्भावपूर्वक कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में समुचित विधिवत सुविधायें, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।
- (3) ब्यूरो की संरचना, उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

बीमा और
जोखिम भत्ता

79. (1) राज्य सरकार, सभी पुलिस अधिकारियों के लिए चोट लगने, अक्षमता, इयूटी के समय मृत्यु के विरुद्ध, एक बीमा योजना विहित करेगी।
- (2) राज्य सरकार, गम्भीर जोखिम वाले विशेष खण्डों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, जोखिम भत्ता भी विहित कर सकती है।

शिकायत
निवारण

80. (1) पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के अनुमोदन से, पुलिस कार्मिकों के व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतों पर विचार करने के लिए, विनियमों के माध्यम से, एक संतोषजनक, पारदर्शी और सहभागिता वाला शिकायत निवारण तंत्र बनायेगी। शिकायतें उदारतापूर्वक प्राप्त की जाएंगी।
- (2) यह तंत्र, व्यथित पक्ष को, यदि उसका प्रथम स्तर पर उसकी शिकायत के निस्तारण से समाधान नहीं होता है, अपील का अधिकार सुनिश्चित करेगा।

नियंत्रित
प्राचरण
अपराध

समन्वय

अध्याय—दस

साधारण अपराध, शास्तियां और उत्तरदायित्व

81. (1) यदि कोई व्यक्ति, किसी मार्ग, गली, आम रास्ते या खुले स्थान, जो सार्वजनिक हो, में निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है, जिससे वहां के निवासियों या राह चलते व्यक्तियों को असुविधा, परेशानी या खतरा हो, न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये जाने पर, न्यूनतम् रूपये पाँच सौ और अधिकतम् रूपये एक हजार के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, यथा:
- (क) नशे में धुत तथा दंगा या जनता में उपद्रव करते हुए पाया जाने पर;
- (ख) पुलिस, अग्निशमन दल या किसी अन्य आवश्यक सेवा को झूठा अलार्म लगाकर गुमराह करने या जानबूझ कर अफवाह फैलाने पर।
- (2) किसी व्यक्ति को, जो उप-धारा (1) में उल्लिखित कोई अपराध करता है और घटना स्थल पर ही अपराध का शमन करने में असफल रहता है, उसे बिना वारण्ट के हिरासत में लेना, किसी पुलिस अधिकारी के लिए विधि सम्मत होगा।
- (3) इस धारा में उल्लिखित अपराधों का, इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा, विहित न्यूनतम राशि की आधी राशि जमा करने पर, घटनास्थल पर ही शमन किया जा सकता है।
- (4) उप धारा (1) के अधीन हिरासत में निरुद्ध व्यक्ति को, अपराध के शमन होने के तुरन्त पश्चात् मुक्त कर दिया जायेगा, अन्यथा ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिये जाने के 24 घण्टे के अन्दर क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
82. (1) किसी मण्डल में विधि और व्यवस्था के प्रबन्धन को प्रभावी बनाने के लिए, जहाँ अपेक्षित हो, मण्डलायुक्त द्वारा राज्य सरकार तथा विभिन्न अन्य एजेन्सियों में समन्वय स्थापित किया जायेगा।
- (2) किसी जिले में विधि और व्यवस्था के प्रभावी प्रबन्धन के लिए, जहाँ भी अपेक्षित हो, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार एवं विभिन्न एजेन्सियों में समन्वय स्थापित किया जायेगा।
- (3) समन्वय के प्रयोजन हेतु, जिला मजिस्ट्रेट जिले के पुलिस अधीक्षक और जिले के विभागाध्यक्षों से, जब कभी अपेक्षित हो, साधारण और विशेष प्रकार की सूचना मंगा सकता है। जहाँ परिस्थिति की मांग हो, जिला मजिस्ट्रेट समन्वय के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समुचित लिखित आदेश पारित करेगा और निदेश जारी करेगा।

अन
द्वारा
वित्तीय
लि
जै
नियंत्रित
आचरण के
अपराध
विधिव
राज्य
ता, र
पुलि
भ
गों क
निय
काय
काय
नेश्च
समन्वय

आदेशों और
निदेशों का
पालन न
करने के
लिये शास्ति

पुलिस वर्दी
का
अनधिकृत
उपयोग

पुलिस
अधिकारी
इत्यादि द्वारा
कर्तव्य की
उपेक्षा के
लिए
शास्तियाँ

- (4) समन्वय हेतु जिला मजिस्ट्रेट से निदेश प्राप्त होने पर, सभी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, जिले के पुलिस अधीक्षक को पूर्ण सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।
83. (1) धारा 51, 52, 53 और धारा 81 की उप धारा (3) एवं (4) के अधीन जारी किये विधि सम्मत आदेशों का पालन न करने वाले व्यक्ति पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले विधि न्यायालय में अभियोजन चलाया जायेगा एवं दोषी ठहराये जाने पर अधिकतम रु0 10000/- के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
- (2) तथापि, धारा 51, 52 एवं 53 के अपराध का घटनास्थल पर शमन किया जा सकता है, यदि सम्बन्धित थाने के प्रभारी के पास विहित अधिकतम राशि की आधी राशि जमा कर दी जाये।
84. यदि कोई व्यक्ति, जो पुलिस अधिकारी नहीं है, राज्य सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये बिना, पुलिस की वर्दी या उसके समान दिखने वाली पोशाक या उक्त वर्दी का कोई विशिष्ट चिन्ह धारण करता है, तो उसका दोष सिद्ध हो जाने पर उसे छः माह के अधिकतम कारावास या रु0 5,000/- के अधिकतम जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
85. प्रत्येक पुलिस अधिकारी:-
- (क) जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विधि सम्मत नियम या विनियम की उपेक्षा, या जानबूझकर उल्लंघन, या कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी है, या
- (ख) जो बिना अनुमति के या पूर्व सूचना दिये बगैर अपने पद के कर्तव्यों से विमुख हो गया है, या
- (ग) छुट्टी के कारण अनुपस्थित रहते हुये, ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर बिना युक्तियुक्त कारण के अपने काम पर उपस्थित होने में असफल होता है, या
- (घ) जिसने अपनी पुलिस ड्यूटी से भिन्न किसी अन्य नियोजन में बिना किसी प्राधिकार के नियुक्ति प्राप्त कर ली है, या
- (ङ) जो कायरता का दोषी पाया गया है, या
- (च) अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के शरीर पर अनावश्यक हिंसा करते हुए पाया गया है, या
- (छ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 द्वारा अपेक्षित, बिना किसी विधि सम्मत कारण के, प्राथमिकी का पंजीकरण करने में असफल होता है, या
- (ज) ड्यूटी के समय नशे की हालत में पाया गया है, या
- (झ) ऐसे कार्य करता है, जो किसी पुलिस अधिकारी के लिए किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं है,

निरस्त
व्यावृ

नियम
विनि
बना
शक्ति

कति
दूर
शक्ति

उसे तीन महीने के वेतन के बराबर की अधिकतम धनराशि के जुर्माने से, या अधिकतम तीन माह के किसी प्रकार के कारावास से या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

- (ज) (एक) इस खण्ड के अधीन कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी अथवा जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्थित की जायेगी।
 (दो) इस धारा के अधीन संस्थित की गयी विधिक कार्यवाही का परिणाम, संबंधित पुलिस कार्मिक की व्यक्तिगत सेवा अभिलेखों में अभिलिखित किया जायेगा।

अध्याय—ग्यारह

86. (1) उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में, पुलिस अधिनियम, 1861(अधिनियम संख्या 5, वर्ष 1861) एतद्वारा निरसित किया जाता है।
 (2) उप धारा (1) के अधीन निरसन, इस प्रकार निरसित अधिनियमितों के पहले किसी कृत कार्य या तात्पर्यित की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा (इसमें की गयी कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन या जारी की गई अधिसूचना, आदेश, निदेश अथवा नोटिस शामिल हैं)। उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाये गये नियम और विनियम, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं हैं, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किये गये समझे जायेंगे और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही या किसी बात द्वारा अधिक्रान्त नहीं होते, प्रवृत्त रहेंगे।
87. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु नियम बना सकेगी।
 (2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, यथाशीघ्र, राज्य की विधानसभा के समक्ष रखे जायेंगे।
 (3) पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के अनुमोदन से, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में विनियम बना सकेगा।
 (4) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक को, उसके द्वारा ऐसी रीति से, जैसा वह निदेश दे, बनाये गये विनियमों में संशोधन करने के लिए निदेश दे सकेगी और तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक विनियमों में उस रीति से संशोधन करेगा, जैसा निर्देशित किया जाये।
 (5) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।
88. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष तक राज्य सरकार राजपत्र में आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के असंगत न हो, जैसा वह कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन समझे।
 (2) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र, राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
 सचिव।

अतः

निरसन और व्यावृत्ति

नियम व विनियम बनाने की शक्ति

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

नियम व विनियम बनाने की शक्ति

नियम व विनियम बनाने की शक्ति

नियम व विनियम बनाने की शक्ति

नियम व विनियम बनाने की शक्ति

नियम व विनियम बनाने की शक्ति

नियम व विनियम बनाने की शक्ति

No. 1215/XXXVI (4)/2008

Dated Dehradun, January 04, 2008

NOTIFICATION**Miscellaneous**

IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand Police Bill, 2007 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 01 of 2008).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 2nd January, 2008.

THE UTTARAKHAND POLICE ACT, 2007**As amended by the Select Committee**

(ACT No. 01 OF 2008)

To provide for establishment, regulations and management of the police, redefine its role, duties and its responsibilities and to enable it to function as an efficient professional effective, accountable and people friendly and responsive agency by taking into account the emerging challenges of policing, enforcement of rule of law, the concern for the security of the State and the people, good governance and human rights, this

AN

ACT

Be it enacted by the Legislature of the State of Uttarakhand in the Fifty Eighth year of the Republic of India.

CHAPTER I**PRELIMINARY**

**Short title,
extent and
commence
ment**

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Police Act, 2007.
- (2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand and to the Police force of the State, deployed outside the State, except the Revenue Police Area
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, specify in this behalf.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires-
 - (a) "Act" means the Uttarakhand Police Act, 2007;
 - (b) "Cattle" means and includes cows, buffaloes, elephants, camels, horses, asses, mules, sheep, goats and swine;
 - (c) "Chief Secretary" means the Chief Secretary to the State Government;

(d)"District" means a Revenue territory, notified as a Revenue District under the U.P. Land Revenue Act, 1901 (As amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand)

(e)"District Magistrate" means the Chief Officer, entrusted with the administration of a District and so appointed by the State Government under Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);

(f)"Divisional Commissioner" means the officer designated as such and in charge of a Revenue Division, notified under the U.P. Land Revenue Act, 1901 (As amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand)

(g)"Domestic Help" means a person working for remuneration or otherwise performing domestic chores in a household;

(h)"Insurgency" means and includes waging of armed struggle, by a group or a section of population, against the State, which includes the separation of a part from the territory of India;

(i)"Internal Security" means preservation of Sovereignty and Integrity of the State from disruptive and anti-national forces within the State;

(j)"Militant Activities" means and includes any violent activity of a group, using explosives, inflammable substances, firearms or other lethal weapons or hazardous substances, in order to achieve its political objectives;

(k)"Moral turpitude" means involvement in any crime, which among other things, either pertains to cheating, forgery, drugs, intoxication, offending the modesty of a woman. or any offence against the State as mentioned in Chapter VI of the Indian Penal Code (Central Act 45 of 1860);

(l)"Organized crime" means and includes any crime, committed by a group or a network of persons, in pursuance of its common intention of unlawful gain, by using violent means or threat of violence;

(m)"Place of public amusement and public entertainment" means and includes such places, as may be notified by the State Government;

(n)"Police District" means the territorial area, notified by the government for this purpose;

(o) "The boundary of the Police District" means the territorial area of the Revenue District, excluding the Revenue Police Area;

for
ty,
ORS

(p) "Police Officer" means any officer, belonging to the Indian Police Service, Uttarakhand Police Service or Uttarakhand Police Subordinate Service and includes any other service, constituted under this Act.

(q) "Police Personnel" means and includes such police officers and all other persons, for whom the Appointing Authority is the Director General of Police or any officer subordinate to him;

(r) "Prescribed" means prescribed under this Act;

(s) "Public place" means any place, to which the public have access and includes -

(i) a public building, monument and precincts thereof; and

(ii) any place, accessible to the public for drawing water, washing or bathing or for purposes of recreation;

(t) "Regulation" means regulations made under this Act;

(u) "Revenue Police Area" means the area, existing as such or to be notified as a Revenue Police Area;

(v) "Revenue Police System" means the system of Policing, existing in a Revenue Police Area;

(w) "Rules" means rules, made under this Act;

(x) "Service" means the Police Service, constituted under this Act;

(y) "Subordinate Rank" means all ranks, below the rank of Assistant or Deputy Superintendent of Police;

(z) "Superintendent of Police" means the police officer in charge of a Police District and shall include police officers of equivalent rank;

(za) "Terrorist activity" means and includes any activity of a person or a group, using explosives or inflammable substances or firearms or other lethal weapons or noxious gases or other chemicals or any other substance of a hazardous nature with the aim to strike terror in the society or any section thereof, and with an intent to overawe the Government, established by law;

onst
of ti
lice
pree
e St

olice
ang

(zb) "Victim" means a victim of crime who, individually or collectively, have suffered criminal harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, and includes acts or omissions that are in violation of laws operative within Uttarakhand;

(zc) "Witness" means a person -

(a) who has made a statement, or who has given or agreed to give evidence in relation to the commission of any offences, as may be prescribed;

(b) relation or associate to a person, referred to in clause (a) above, may require protection or other assistance under this Act; or

(c) for any other reason, may require protection or other assistance under this Act.

NOTE: Words and expressions used in this Act, but not defined specifically, shall have the same meaning as provided in the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Indian Penal Code, 1860.

CHAPTER II

CONSTITUTION AND ORGANIZATION OF THE POLICE FORCE

3. (1) There shall be a Police Force for the State.

(2) The Police Force shall consist of such ranks and members, and have such organization(s), as the State Government may, by general or special orders, prescribe.

(3) The administration of the Police Force of the State, subject to the overall control of the State Government, shall vest in the Director General of Police.

4. (1) The State Government may, by notification, divide the state into one or more Police Ranges.

- (2) The administration of the Police Force in the Police Range shall vest in an officer, not below the rank of Deputy Inspector General of Police.
- Police District** 5. The administration of the Police District within the local jurisdiction of the District Magistrate, shall be vested in a Superintendent of Police under the general coordination and direction of the District Magistrate.
- District-level Special Cells.-** 6. For the purpose of dealing with a particular category of crime or providing better service to the community at large including victims of crime, the State Government may create one or more Special Cells in a Police District.
- Police Stations** 7: (1) The State Government shall, by notification, create Police Stations, with or without outposts.
(2) The State Government shall, by notification, notify the Circle and there shall be minimum two Police Stations in a Circle.
(3) A Police Station shall be headed by an Officer-in-charge, who shall not be below the rank of Sub-Inspector of Police.
- Revenue Police Areas** 8. under the Revenue Police System, such area of any District shall fall as the Government determines time to time.
- Railway Police** 9. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, create one or more Railway Police Districts under the control of Superintendent of Police including such railway areas in the State as the State Government may specify.
(2) The State Government may, by notification, divide a Railway Police District into one or more Circles, to be headed by an officer of the rank of Assistant/Deputy Superintendent of Police.
(3) The State Government may, by notification, create one or more Police Stations in the Railway Police District, to be headed by an officer of the rank not below the rank of a Sub-Inspector of Police.
- State Intelligence Department** 10. The State Government may, by a general or special order, create a State Intelligence Department for collection, collation, analysis and dissemination of intelligence.

11. The State Government may, by a general or special order, create a Crime Investigation Department for investigation of specified crimes, as directed by the State Government and /or by Director General of Police.

12. Notwithstanding anything contained in this Act, or any other law for the time being in force -

- (1) The State Government may, by a general or special order, create Specialised Police Force and may also determine the number, functions and responsibilities of such Police Force.
- (2) A specialised Police Force may comprise of such administrative structure and hierarchy, as may be prescribed.
- (3) The duties, responsibilities, powers, and privileges of a Specialised Police Force may be such, as prescribed by the State Government.
- (4) The State Government may, by a general or special order, disband or rationalize such a Specialised Police Force at any time.

13. To assist the civil police in enforcement of law and maintenance of order or in situations of likely breach of peace or in disaster management functions, in escort of prisoners, or to discharge such other duties, which may require special weapons and tactical teams or presence of armed police, the State Government shall create Armed Police Units or Special Armed Police Units with appropriate manpower strengths in the form of an Armed Police Reserve for each Police District and Armed Police Battalions for the State. The constitution, recruitment, training, deployment and administration of such Reserve Battalions shall be as per rules made under this Act.

14. Subject to the rules prescribed in this behalf, the Superintendent of Police shall, under special circumstances, appoint Special Police officer in consultation with the District Magistrate.

15. (1) The State Government may lay down a Training-cum-Education Policy, in consultation with the Director General of Police, for the police officers and personnel. This policy shall also aim to promote a service culture among police officers for acquiring appropriate educational and professional qualifications, as they advance in their career.

- (2) The State Government may, by a general or special order, establish Police Training Institutions including State Police Training Institutes, Police

Training Schools, and other Training Institutions, including Police Academy.

- (3) The supervision and administration of the Police Training Institutions shall be in accordance with Rules, made for this purpose.

**Bureau of
Police
Research
and
Development**

16. (1) The State Government may establish a Bureau of Police Research and Development for undertaking research into matters, relating to police and crime.

- (2) The administration and working conditions of the Bureau may be such as may be prescribed.

**Technical
and Support
Forces**

17. The State Government may create and maintain, under the overall control of the Director General of Police, such technical agencies and forces as required through notifications made from time to time for this purpose.

**Legal
Advisor and
Financial
Controller**

18. The State Government may appoint a Legal Advisor and a Financial Controller to assist and advise the Director General of Police on legal and financial matters respectively.

CHAPTER III

ADMINISTRATION OF THE POLICE FORCE

**Superintend
ence over
the Police
Force**

19. Notwithstanding anything contained in any law, the State Government shall exercise power of superintendence over the Police Force in respect of all matters.

**Director
General of
Police**

20. (1) For the overall control, direction and supervision of the Police Force, the State Government shall appoint a Director General of Police.

- (2) The Director General of police shall be appointed from a panel of officers, already working in the rank of the Director General of Police, of the officers, who have been found suitable for promotion in the rank of Director General of Police, after screening by a committee, as constituted by the Government;

Provided that the number of officers in the panel shall not exceed three times the number of cadre posts, sanctioned for the rank of Director General of Police in the State.

(3) The Director General of Police, so appointed, shall have a minimum tenure of two years, subject to superannuation.

(4) The State Government may remove the Director General of Police from his/her post before the expiry of the tenure, by a written order, specifying reasons, on the following grounds -

(i) on conviction by a court of law in a criminal offence or where charges have been framed by a court in a case involving corruption or moral turpitude; or

(ii) on becoming incapable to perform his/her functions as the Director General of Police due to physical or mental illness; or

(iii) on promotion or transfer to a higher or similar post under the Central or any other State Government; or

(iv) on his/her own request.

(5) In exceptional cases, the Director General of Police may be removed from his post by the State Government before the expiry of his/her tenure, for gross inefficiency and negligence, where a prima facie case of a serious nature has been established after a preliminary enquiry.

21. Subject to the approval of the State Government, the Director General of Police shall make regulations or issue orders, not inconsistent with this Act and with any other law for the time being in force for -

(a) prevention of crime,

(b) investigation of crime,

(c) maintenance of law and order,

(d) regulation and inspection of the police organization and of the work performed by police officers,

(e) determining the description and quantity of arms, accoutrements, clothing and other wherewithal's to be provided to the Police force;

(f) selection of the places of residence of members of the Police force,

(g) regulation, deployment, movements and location of the police force,

Adminis-
tration of
police

Police

tutions

ch and
ime.

uch as

ontrol of
quired

ontrol
matters

it shall

tters.

orce, the

anel of

olice, of

rank of

stitute

- (h) assigning duties to officers of all ranks and grades and prescribe the manner and the conditions, subject to which they shall exercise and perform their respective powers and duties,
- (i) regulating the collection and communication of intelligence and information by the police,
- (j) prescribing the records, registers and forms to be maintained and the returns to be submitted by different police units and officers and generally, for the purpose of rendering the police more efficient, preventing abuse of power and neglect of duties by them.

Disciplinary Proceedings

22. Subject to the provisions of Article 311 of the Constitution of India, disciplinary proceedings shall be conducted, as per the Rules and Regulations made under this Act.

Disciplinary Penalties

23 (1) An officer of the rank of Superintendent of Police or above may award any of the following punishments, to a police officer of a rank for which he is the Appointing Authority, namely-

- (a) Reduction in rank,
- (b) Compulsory retirement,
- (c) Removal from service,
- (d) Dismissal,
- (e) Reduction in salary,
- (f) Withholding of increment, and
- (g) Withholding of promotion.

(2) Any police officer of the rank of Superintendent of Police or above may award any of the following punishments to any non-gazetted police officer subordinate to him, namely-

- (a) fine not exceeding one month's salary,
- (b) reprimand or censure.

(3) A Deputy Superintendent of Police or any officer of equivalent rank may award the punishment of reprimand or censure, to a Police Inspector or Sub-Inspector of Police or an officer below its rank.

(4) Any officer of and above the rank of Inspector may award minor punishments to Constables and Head Constables.

jus

Mis

App
agai
orde
ounAdm
of P.
Rail
Area

(5) Any punishment, mentioned in sub-section (1),(2),(3) or (4) above, awarded to an officer, will not affect his liability for prosecution for any criminal offence, committed by him in the same transaction, for which departmental action has led to the award of punishment to him for any transgression of departmental rules.

Suspension 24. A police officer of or above the rank of Superintendent of Police may place a police officer of the rank of Inspector or below, subordinate to him, under suspension for reasons to be recorded in writing.

Misconduct 25. A police officer shall, in addition to any other delinquent act or behavior, as specified in the relevant rules, be liable for disciplinary action for any of the following misconduct -

- (a) disobedience of lawful orders ;
- (b) neglect of duty;
- (c) insubordination or any oppressive conduct ;
- (d) unauthorised malingering or absence from duty;
- (e) act of cowardice;
- (f) misuse of right; or
- (g) any other act, unbecoming of an officer.

Appeals against orders of punishment 26. An appeal against any order of punishment passed against an officer under in the present Act or any rules made there under, shall lie -

- (a) where the order has been passed by the Director General of Police-to the State Government; and
- (b) where the order has been passed by an officer, subordinate to the Director General of Police-to the officer, who is next higher in rank in the Police hierarchy from the officer, who passed such order.

Administration of Police in Railway Areas 27. (1) The State Government may place an officer not below the rank of Deputy Inspector General of Police, to assist the Director General of Police in the administration of the Railway Areas.

- (2) The administration of a Police District in a Railway Area shall vest in a Superintendent of Police.
- (3) Subject to the control of the Director General of Police, such police officers shall discharge police functions, connected with the railways, situated within

their respective charges and such other functions, as the State Government may, from time to time, assign to them.

- (4) Any police officer, whom the State Government has, by a general or special order, empowered to act under this sub-section, may exercise within the Police District or any part thereof, any of the powers of an officer-in-charge of a Police Station in that Police District. While exercising such powers, he shall be deemed to be an Officer-in-Charge of that Police Station, discharging the functions of such officer within the limits of his Police Station.
- (5) Subject to any general or special orders, which the State Government may pass in this behalf, such police officers shall, in the discharge of their functions, be vested within every part of the state, with the powers and privileges and be subjected to the liabilities of police officers under this Act or any other law for the time being in force.
- (6) The Superintendent of Police may, with the previous permission of the State Government, delegate any of the powers and functions conferred on him by or under this Act, to an Assistant or Deputy Superintendent of Police.

Term of
office of key
police
function-
aries

28. (1) A Police Officer, posted as an Officer-in-charge of a Police Station; shall have a minimum term of one year and, as an Officer in-Charge of a Police Circle or as a Superintendent of Police or as a Deputy Inspector General/Inspector General of a Range, shall have a minimum term of two years, subject to superannuation;

Provided that any police officer covered under this section may be transferred from his post before the expiry of the tenure by the competent authority by a written order, specifying reasons on the following grounds:-

- (a) on promotion to a higher post or proceeding on deputation; or
- (b) on proving the guilt; or
- (c) on framing of a charge by a court of law for a criminal offence; or

- (d) on becoming incapable due to any physical or mental illness or otherwise becoming unable to discharge his functions and duties; or
- (e) for filling up a vacancy; or
- (f) on his own request; or
- (g) in the public interest.
- (2) In exceptional cases, an officer may be removed from his post by the competent Authority for gross inefficiency or negligence, where a prima facie case of a serious nature has been established after a preliminary enquiry.

CHAPTER IV

STATE POLICE BOARD AND POLICE ESTABLISHMENT COMMITTEE

29. The State Government shall, as soon as may be, establish a State Police Board to perform the functions, assigned to it under the provisions of this Chapter.

30. The State Police Board shall comprise the following -

- (a) Home Minister -----Chairman
- (b) The Leader of the Opposition or as the case may be, if there is no Leader of the Opposition, the Leader of the largest single opposition party in the State Legislative Assembly ----- Member
- (c) Chief Secretary ----- Member
- (d) Principal Secretary/ Secretary, Home Department ----- Member
- (e) Director General of Police ----- Member
- (f) Two non-political persons of proven reputation for integrity and competence (hereinafter referred to as "Independent Members") from any field, such as academia, law, public administration, media or any other field, to be appointed on the recommendation of the Selection Panel, constituted under this Act.----- Member
- (g) One police officer, belonging to the State cadre of Indian Police Service, not below the rank of Additional Director General of Police, to be nominated by the State Government, as its Secretary.

Composition of the panel for selection of Independent Members

31. Independent Member(s) of the State Police Board shall be appointed on the recommendation of a Selection Panel, which shall consist of -

- (a) Chief Minister of the State,
- (b) Speaker of the State Legislative Assembly,
- (c) Home Minister of the State, and
- (d) Leader of the Opposition in the State Legislative Assembly; or as the case may be, if there is no Leader of the Opposition, the Leader of the largest single opposition party in the State Legislative Assembly.

Grounds of ineligibility for Independent Members

32. No person shall be appointed as an independent Member of the State Police Board if he -

- (a) is not a citizen of India; or
- (b) has been convicted by a court of law or charges have been framed against him/her by a Court of law; or
- (c) has been dismissed or removed from service or compulsorily retired on the grounds of corruption or misconduct; or
- (d) holds an elected political office, which includes a member of Parliament or State Legislature or a local body, or is an office-bearer of any political party or any organization, connected with any political party; or
- (e) is of unsound mind.

Term and privileges of Independent Members

33. A person may be appointed as an Independent Member for a period of two years. No person shall be appointed for more than one term. An independent member shall be entitled to a sitting fee, transport to and from the place of meeting as well as for touring expenses in connection with any task, entrusted by the Board as prescribed from time to time.

Removal of Independent Member

34. (1) The State Government may remove any Independent Member of the State Police Board at any point of time on any of the following grounds:-

- (a) proven incompetence; or
- (b) proven misbehavior; or
- (c) failure to attend three consecutive meetings of the State Police Board without sufficient reason; or
- (d) becoming incapable by reasons of physical or mental infirmity; or
- (e) otherwise becoming unable to discharge his functions as a member; or

on th (f) on the recommendation of the Selection Panel.

(2) In addition, an Independent Member may also be removed from the State Police Board by the State Government, if he incurs any of the grounds of ineligibility, specified in this Chapter.

(3) The State Government shall state in writing the grounds for such removal.

ie cagnctions of
large State
lice Board

35. The State Police Board shall perform the following functions, namely-

(1) Suggest and advise the State Government on policy guidelines for promoting efficient, effective, responsive and accountable policing,

(2) Suggest the State Government in identifying performance indicators, which shall, inter alia, include operational efficiency, public satisfaction, victim satisfaction vis-à-vis police investigation and response, accountability, optimum utilization of resources, and observance of human rights standards,

(3) Suggest measures to enhance the performance of the Police Force periodically as per the performance indicators, identified in sub section (2) above,

(4) suggest towards evaluating organizational performance of the police against-

(i) performance indicators, as identified and laid down by the State Police Board itself;

(ii) resources available with, and constraints of the police;

(5) suggest policy guidelines for gathering information and statistics related to police work; and

(6) suggest ways and means to improve the efficiency, effectiveness, accountability, and responsiveness of the police.

of tv
ende
etin
Boar

Sta
penses

36. The expenses on account of remuneration, allowances, and travel in connection with official business of the State Police Board, and in respect of the Independent Members of the Board, shall be borne by the State Government, as per the rules prescribed in this respect.

the
ate
lice
ard
Boa

annual
port of
e State
lice
ard

37. The State Police Board shall at the end of each year, present to the State Government a report on its work during the preceding year on the evaluation of performance of the Police Force. The State Government shall, as soon as may be, lay this report before the State Assembly.

**Police
Establish-
ment
Committee**

38. (1) The State Government shall, as soon as may be, constitute a Police Establishment Committee (hereinafter referred to as the 'Committee') with the Director General of Police as its Chairperson and two other senior most police officers in the Department, not below the rank of Inspector General of Police, as members.

(2) Establishment Committee shall perform the following functions and duties, namely -

- (a) lay procedures for the selection and promotions in the Subordinate Ranks;
- (b) transfer of subordinate officers from one Range to another;
- (c) transfer of officers of the rank of Deputy Superintendent of Police/ Assistant Superintendent of Police ;
- (d) recommend to the State Government, regarding the transfer and posting of police officers of the rank of Additional Superintendent of Police and above;
- (e) prescribe guidelines and instructions for transfer of subordinate officers from one Police District to another; and
- (f) analyse and redress the grievances of the police personnel and wherever necessary, suggest remedial measures to the State Government.

(3) The State Government may, in such matters as it may deem fit, for reasons to be recorded in writing, alter or amend the decisions of the Committee,

CHAPTER V

ROLE FUNCTIONS AND DUTIES OF THE POLICE

**Role,
functions
and duties of
the police**

39. (1) The indicative role and functions of the police, as per the rules made by the Government from time to time, may broadly constitute the following -

- (a) to uphold and enforce the law impartially, and to protect life, liberty, property, human rights, and dignity of the members of the public;
- (b) to assist in maintaining law and order;

- (c) to protect internal security, to prevent and control terrorist activities, breaches of communal harmony, militant activities and other situations affecting internal security;
- (d) to protect public properties including roads, railways, bridges installations and establishment etc, against acts of vandalism or any kind of attack;
- (e) to prevent crimes, and reduce the opportunities for the commission of crimes through their own preventive actions and measures as well as by assisting and cooperating with other relevant agencies in implementing due measures for prevention of crimes;
- (f) to accurately register all complaints, brought to them by a complainant, or his representative, in person or received by post, e-mail or other means, and take prompt follow-up action thereon, after duly acknowledging the receipt of the complaint;
- (g) to register and investigate all cognizable offences coming to their notice through such complaints or otherwise, duly supplying a copy of the First Information Report to the complainant, and where appropriate, apprehend the offenders and conduct investigations as per law;
- (h) to create and maintain a feeling of security in the community and, as far as possible, prevent conflicts and promote amity;
- (i) to provide all possible help to people in situations, arising out of natural or man-made disasters, and provide active assistance to other agencies in relief and rehabilitation measures;
- (j) to help the individuals, who are in danger of physical harm to their person or property, and to provide necessary help and afford relief to people in distressed situations;
- (k) to facilitate orderly movement of people and vehicles and to control and regulate traffic on roads and highways;
- (l) to collect intelligence reports, relating to matters affecting public peace, and all kinds of crimes, including social offences and other matters relating to national security and disseminate the same to all such agencies as may be prescribed, besides acting on it themselves.
- (m) to perform all such other duties and discharge such responsibilities, as may be enjoined on them by the State Government or an Authority, empowered to issue such directions under any law for the time being in force;

(n) to keep and display, in the Police Station, a record of habitual offenders and persons involved in organized crime;

(o) to maintain, updated record of habitual offenders and persons involved in organized crime, at the District and State level.

(2) A police officer shall take charge, as a police officer on duty, of any unclaimed properties and shall take action for their safe custody and disposal in accordance with the provisions of Section 46.

Functions in Revenue Police Area

40. Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for the police force and armed police units to investigate and to render such assistance, and may be required in the Revenue Police Area, in the scientific investigations of crimes and regulation of crowd and relief, rescue operations and such other arrangements, as the District Magistrate may direct in exceptional circumstances through the Superintendent of Police of the District.

Senior Police officer performing duties of a subordinate officer

41. A senior police officer may perform any duty assigned by law or by a lawful order to any officer subordinate to him. He/She may assist, supplement, supersede or prevent any action of the subordinate by his own action or that of any person lawfully acting under his command or Authority, whenever the same may appear necessary or expedient for comprehensively enforcing the law or for avoiding any infringement thereof;

Police officers always on duty and may be employed in any part of the State

42. Every police officer shall, for the purposes of this Act, be considered to be always on duty, and may, at any time, be employed as a police officer in any part of the State or outside it.

Police officer not to engage in other employment

43. No police officer shall engage himself in an employment or office whatsoever other than his duties under this Act, unless expressly permitted to do so in writing by the State Government.

ende
lice officer
to
hdraw
m duty,

44. No police officer shall withdraw himself from duties of his office.

olve
lice
ficers may
of a
sal
formation,

45. It shall be the duty of any police officer to lay any information before a Judicial Magistrate, having jurisdiction and to apply for summons, warrant, search warrant or such other legal process, as may be, by law, issued against any person, committing an offence.

or th
lice
ce, ficers to
ns ke charge
othe unclaimed
ance operty not
ing a case
operty

46. It shall be the duty of every police officer to take charge of all unclaimed moveable property and to furnish an inventory thereof to the Superintendent of Police, who shall be competent for the disposal of the same in the manner prescribed and shall keep the concerned court, having competent jurisdiction, fully informed in this regard.

awfu
rised
erson
ppear
g an

47. It shall be the duty of every officer in charge of a Police Station to keep a general diary in such form and manner as may, from time to time, be prescribed.

le
ernment
y
scribe
to b
n of
arns
/ par

48. The State Government may direct the submission of returns by the Director General of Police and other officers, as the State Government may deem proper, and may prescribe the forms, in which such return are to be prepared.

iforms,
ignia,
outrements

49. (1) The State Government may prescribe uniform, insignia and accoutrements for police officers, or as the case may be, police officers of any class.

(2) The Director General of Police may, from time to time, issue directions for wearing of uniforms and carrying of insignia and accoutrements.

ever
riting

CHAPTER VI

SPECIAL PROVISIONS FOR POLICING

Special
Crime
Investigation
Units

50. (1) The State Government may create, for Police Districts or Police Stations, Special Crime Investigation Units, headed by an officer not below the rank of Sub-Inspector of Police and may also specify the offences to be investigated by such units.

(2) The police officers posted to such units shall not be diverted to any other duty, except under very special circumstances, with the written permission of the Director General of Police.

(3) The Special Crime Investigation Units may also investigate other offences, as may be specified by general or special order of Director General of Police.

Power to
reserve
public places
and erect
barriers and
regulate the
use of music
and other
sound
systems in
public places

51. (1) Subject to such inquiry and restrictions, as may be specified by the State Government or any officer authorised for the purpose, the Superintendent of Police may, by public notice, temporarily reserve, for any public purpose, any street or other public place and prohibit the public from entering the area so reserved, except on such conditions as may be specified.

(2) The Superintendent of Police may authorize any police officer:-

(a) to erect barriers and other necessary structures on public roads and streets, required for maintenance of law and order.

(b) to check vehicles or occupants thereof, for violation of any law.

(3) The District Superintendent of Police or any officer, not below the rank of Assistant /Deputy Superintendent of Police, may regulate the time and the volume of music and other sound systems, which are being used in connection with any performance and other activities in or near any street or public place causing annoyance to the residents of the neighborhood.

Maintenanc
e of Law and
Order

52. (1) In respect of a Police District, the Superintendent of Police, in concurrence with the District Magistrate, may issue general or special orders in such manner, as may be prescribed, in respect of the following -

(a) Regulating places of public amusement and public entertainment and, if necessary in the interest of general public, prohibiting any such

places of public amusement and public entertainment for ensuring the safety and well-being of persons, likely to be affected;

- (b) Regulating the entry or exit at any place of public amusement, public entertainment, or at any place of public meeting or assembly and providing for the maintenance of public peace and prevention of disturbance at such places;
- (c) Regulating all assemblies and processions on any public road, street or thoroughfare and lay down the route, by which and the time, at which such a procession may pass;
- (d) It shall be the duty of any person intending to organize a procession on any road or street or thoroughfare or to convene a public meeting at any public place, to inform the District Magistrate, the District Superintendent of Police, and the Officer in-charge of the concerned Police Station;
- (e) If any of the officers, mentioned in clause (d) above, has reason to believe, or on receipt of information and upon being satisfied has reason believe that such an assembly or procession, if allowed without due control and regulation, is likely to cause a breach of peace, he may prescribe necessary conditions, including provisions for satisfactory regulatory arrangements. On those conditions alone, the assembly or the procession may be taken out. In special circumstances and for reasons to be recorded in writing, such assembly or procession may be prohibited in public interest.
- (f) Any assembly or procession, which neglects or refuses to obey any order issued under clause (e) above, shall be deemed to be an

"unlawful assembly" under Chapter VIII of the Indian Penal Code, 1860.

(2) However, in exceptional and unavoidable circumstance, the officer-in-charge of the Police Station shall take action in matters referred to in sub-section (1), with the concurrence of the concerned Executive Magistrate.

(3) The Superintendent of Police may, by an order published in prominent local newspapers, require every owner of a household, a shop, or a public premise to furnish details of a tenant or domestic help in the specified format.

(4) The District Superintendent of Police may levy such service charges, as may be prescribed, on a person, who, for any monetary gain, conducts any business, organises any Function, Exhibition, Sale, Entertainment etc., which requires deployment of extra Police force for the purpose of the safety of general public or maintaining public peace and law and order.

Regulation of Traffic

53. Superintendent of Police may, time to time, issue directions for regulating the use of public road and street in respect of motorists, cyclists, pedestrians and persons, accompanying animals, and for parking of vehicles including bicycles; with a view to ensuring smooth and orderly movement of traffic.

Witness Protection

54.(1)The State Government shall, as soon as may be, frame Rules for Witness Protection as a measure of Human Rights protection.

(2) The State Government or an officer, authorized by the State Government may apply to the Court, having jurisdiction, for declaring a witness as a protected witness under such terms and such conditions, as may be prescribed.

(3) The measures for protecting such witness may include, inter alia:-

(a) Making necessary arrangements:

- (i) allowing the witness to establish a new identity; or
- (ii) providing arrangements to protect and provide security to the witness and his family;
- (b) relocating the witness;
- (c) providing accommodation for the witness;
- (d) providing transport for the property of the witness;
- (e) providing reasonable financial assistance to the witness;
- (f) permitting any person, involved in the administration of the witness protection programme, to use an assumed name in carrying out his or her duties and for documentation in support of those assumed names;
- (h) taking any of the steps listed in clauses (a) to (f), in respect of a foreign witness, present in Uttarakhand, pursuant to an agreement or arrangement between India and a foreign State, relating to witness protection;
- (g) any other action, which the State Government considers necessary, to ensure the safety of the witness.
- (4) The State Government may pass such orders, as deemed necessary, to remove any difficulty in the operation of this section.

55. (1) The State Government may prescribe appropriate measure for the safety, protection and assistance for a victim from the accused.

(2) The State Government may pass such other orders, as deemed necessary, to remove any difficulty in the operation of this section.

56. (1) Each village or group of villages in a Police District shall have one Village Guard, enlisted by the Superintendent of Police for such tenure, as prescribed in accordance with the Rules, prescribed in this behalf.

(2) A person of sound health, in the age group of 30 to 60 years, residing in the village or the group of villages concerned, shall be eligible for enlistment as Village Guard, in the order of preference laid down below -

- (a) Ex- Serviceman/ Para military personnel
- (b) Home Guard volunteers /Pranteya Rakshak Dal (P.R.D),
- (c) A sports person, who has represented a District at the State level; and

(d) Any other person.

(3) No person having any of the disqualifications laid down below, shall be enlisted, if -

(a) He has been convicted for an offence involving moral turpitude;

(b) A case involving a criminal charge, is either under trial or is under investigation against him.

(4) The tenure of a person, enlisted as village Guard, shall be 3 years. That tenure may be extended or renewed by the District Superintendent of Police;

Provided that a village Guard, during the tenure of his enlistment, may be removed from his guardship, if he incurs any of the disqualifications, specified in sub-section (3) or if he is found neglecting his duties and responsibilities as a village Guard.

Village Guard to be Honorary Worker

57. (1) Village Guard shall be an honorary worker and shall be deemed to be a Public Servant, as defined in the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860)

(2) He may be paid such honorarium and pocket expenses, as determined by the State Government from time to time.

Identification of Village Guard

58. (1) Each Village Guard in the Police District, may be provided with an Identification Badge, Uniform and a Photo Identify Card, by the Superintendent of Police or an officer authorised by him.

(2) Any person, who ceases to be such a Village Guard, shall, forthwith, deliver to the Superintendent of Police or to an officer authorized by him, his Identification Badge, Uniform, Photo Identity Card and all records and documents, maintained by him as Village Guard.

Duties and Responsibilities of Village Guard

59. The duties and responsibilities of a village Guard shall be as follows, namely -

(1) Reporting the occurrence of any crime or law and order situation in the village, at the earliest, to the police station and assisting the police in bringing the offenders to book;

- (2) Maintaining a general vigil in the village from the point of view of prevention of crime or prevention of a law and order problem and promptly informing the police station about the same;
- (3) Remaining alert and sensitive to any information about any suspicious activity, movement of suspicious persons or development of any conspiracy in the village, that is likely to lead to a crime or breach of law and order, and promptly passing on such information to the police station;
- (4) Assisting any citizen, in arresting or handing over to the Police Station, any person or persons under section 43 of the Code of Criminal Procedure, 1973 along with the arms, ammunition, property or any objectionable or suspicious object, if any, seized from him, without delay. In case the arrested person is a woman, the male Village Guard shall be accompanied by a woman;
- (5) Security and preserving the scene of any crime, till the arrival of the police and duly ensuring that it is not disturbed by curious onlookers or anyone else;
- (6) Meeting the in-charge of the Police Station at such periodical intervals, as prescribed by the Superintendent of Police through a general or special order, to report on such activities and incidents in the villages, as would have a bearing on crime, law and order and other policing concerns;
- (7) Maintaining the prescribed records and registers;
- (8) Recording any public grievances or complaints in relation to policing, and liaising with the village Panchayat, on matters relating to crime and law and order in the village; and
- (9) Performing such other general duties, as the District Magistrate or the Superintendent of Police may direct.

60. The Superintendent of Police may, wherever required, organize a group of local respectable persons for any village, to form a Village Defence Team, for carrying out preventive patrolling, promoting crime reduction measures and generally, assisting the police in their functioning in the manner prescribed.

**Community
Liaison
Group**

61. (1) The District Superintendent of Police shall, in the prescribed manner constitute one or more Community Liaison Groups out of the representatives of the community, in every Police Station, to assist the police force in discharging the duties.

(2) Such Community Liaison Group(s) shall perform such functions and shall have such responsibilities, as may be prescribed.

CHAPTER VII

POLICE ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF PUBLIC ORDER AND INTERNAL SECURITY

**Internal
security
Schemes**

62. (1) The Director General of Police shall, with the approval of the State Government, form an Internal Security Scheme to deal with the problems of Public order and security of the entire State. The Internal Security Schemes for the District shall be prepared jointly by the concerned District Magistrate and Superintendent of Police.

(2) The Internal Security Schemes shall be reviewed and revised as necessary at least once in three years, provided that the work of revision may be completed before the expiry of three years from the date of preceding review/ revision.

(3) The Internal Security Schemes shall, inter alia, cover the role of the civil administration and the police with regard to the security of any establishment or installation, relating to important infrastructure, if any, located in the area.

(4) While preparing the Internal Security Schemes, the Director General of Police, the District Magistrates and the Superintendents of Police, as the case may be, shall take into consideration the contingencies of specific law and order problems and security requirements, that may arise in such situations.

(5) The Internal Security Schemes shall incorporate regularly updated and comprehensive Standard Operating Procedures for the action to be taken by the civil administration and the police and other State Government Departments

sha

CHAPTER VIII

POLICE ACCOUNTABILITY

63. In addition to the existing mechanisms, functions, duties and responsibilities of the departmental authorities, accountability of the police shall be further insured through the additional mechanism detailed in this chapter.

64. The State Government shall, within six months of the coming into effect of this Act, establish a State Police Complaints Authority, (hereinafter referred to as the 'Authority') consisting of a Chairperson and maximum four other Members to inquire into public complaints against the police personnel for serious misconduct and to perform such other functions, as stipulated in this Chapter.

65. (1) The Authority shall consist of maximum five members, to be appointed by the State Government, with a credible record of integrity and commitment to human rights. The Authority shall consist of the following -

(a) four persons of eminence with experience in public dealing and having credible record of integrity and commitment to human rights as independent members.

(b) a Police officer superannuated in the rank not below the rank of Inspector General of Police;

(2) At least one member of the Authority shall be a woman and not more than one member shall be a police officer.

(3) Out of the four independent members, at least one member of the Authority shall be from amongst persons, having a good knowledge of law.

(4) The State Government shall appoint one of the independent members, as Chairman of the Authority.

ann
of tl
the

DE Additional
mechanism
for police
State accountability

'ubli
r th State Police
an complaints
Authority

ry &
lete

Composition
of the
Authority

civ.
nt e

olice
sha
s an

Ineligibility for membership

66. A person shall not be eligible to be a member of the Authority, if he/she -
- is not a citizen of India;
 - is above 70 years of age;
 - is serving in any police, military or allied organization;
 - is employed as a public servant;
 - holds any elected office, which include Member of Parliament or Member of State Legislature or of any Local Body;
 - is a member of, or is associated, in any manner, with an organization declared as unlawful under an existing law;
 - is an office bearer or a member of any political party;
 - has been convicted for any offence or against whom charges have been framed by any court of law ; or .
 - is a person of unsound mind and has been so declared by a competent court.

Term of office and conditions of service of Chairperson and Members

67. (1) The term of office of a member and the Chairperson shall be three years unless-
- he resigns at any time before the expiry of his term; or
 - he is removed from the office on any of the grounds, mentioned under section 68.
- (2) The Chairperson and the members shall be eligible for reappointment.
- (3) The remuneration, allowances and other terms and conditions of service of the members shall be such, as may be notified by the State Government from time to time.

Removal of Chairperson and Members

68. The Chairperson or any member of the Authority may be removed from his office by an order of the Governor on the following grounds -
- Proven misconduct or misbehavior;
 - Persistent neglect to perform duties of the Authority;
 - Occurrence of any such situation, that would make a member ineligible for appointment to the Authority under Section 66; or

(d) Any member engaging himself, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office.

Staff of the
Authority

69. (1) The State Government shall provide staff to the members of the Authority.

(2) The strength of the staff shall be prescribed by the State Government.

(3) The staff shall be selected by the Authority in accordance with the procedure, prescribed by the Government.

(4) The remuneration and other terms and conditions of service of the staff shall be notified from time to time by the State Government.

Member

Condition

Conduct of
Business

70. The Authority shall frame its own Rules for the conduct of its business with the approval of the Government.

Power

Functions of
the
Authority

71. (1) The Authority shall forward the complaints of misconduct, received directly by it, to the Director General of Police for further action, however, no cognizance shall be taken of anonymous complaints.

(2) The Authority may inquire into allegations of "serious misconduct" against police personnel, on a complaint received by it.

Under

Explanation: "Serious misconduct" for the purpose of this Chapter, means any act of a police officer, due to which charges may be framed for the following:-

(a) death in police custody;

(b) grievous hurt, as defined under Section 320 of the Indian Penal Code, 1860;

(c) rape or attempt to commit rape;

(d) arrest or detention without due process of law;

(e) violation of human rights; or

(f) Corruption.

Time of
From

In his

For

(3) The Authority may also inquire into any other case, referred to it by the State Government or the Director General of Police if, in the opinion of the Authority, the nature of the case is fit for independent inquiry.

(4) The Authority may monitor the status of departmental inquiries or departmental action on the complaints of "misconduct" against gazetted

officers, through a quarterly reports, obtained periodically from the Director General of Police, and may give appropriate advice to the State Government for completion of action in such cases.

- (5) The Authority may also call for a report from the Director General of Police and may issue appropriate advice for further action or a direction for a fresh inquiry by another officer, when a complainant, on being dissatisfied by the out come of, or inordinate delay in the process of departmental inquiry into his complaint of "misconduct" as defined above, by any police officer, brings such matter to the notice of the Authority.
- (6) The Authority may suggest general guidelines for the State Police to prevent misconduct on the part of police personnels.

**Powers of
the
Authority**

72. (1) The Authority shall have the power to require any person, subject to legal privilege, to furnish information on such points or matters as, in the opinion of the Authority, may be useful for, or relevant to, the subject matter of the inquiry and any person so required, shall be deemed to be legally bound to furnish such information within the meaning of Section 176 and 177 of the Indian Penal Code, 1860.

(2) The Authority, for discharging its duties under this Chapter, shall have the power of a Civil Court.

(3) In the cases enquired directly by it, the Authority may, upon the completion of the enquiry, communicate its finding to the State Government and recommend suitable action.

**Reports of
the
Authority**

73. (1) The Authority shall prepare an annual report at the end of each calendar year, inter alia, containing the following, with such other things -

- (a) the number and type of cases of "serious misconduct", which have been inquired into by it;
- (b) the number and type of cases of "serious misconduct", which have been referred to it by the complainants upon being dissatisfied by the departmental inquiry into his complaint;
- (c) The number and type of cases, including those referred to in (b) above, in which advice or direction was issued by it to the police for further action;
- (d) the patterns of 'misconduct' committed by the police personnel in the State which has been identified; and

(e) recommendations relating to measures to enhance police accountability.

(2) The annual report of the Authority shall be laid before the State Assembly. The report shall be a public document, which shall be accessible to the public.

(3) The Authority may also prepare special report with respect to specific cases, directly inquired into by it. These reports shall also be made accessible to the Public.

74. (1) Any person may lodge his complaint, relating to any "misconduct" or "serious misconduct" on the part of police personnel, with the Authority;

Provided that no complaint shall be entertained by the Authority, if the subject matter of the complaint is being examined by any other Authority or any court established by law.

(2) In cases, where a person has lodged a complaint with the police authorities, he may inform the Authority, at any stage of the departmental inquiry, about any undue delay in the processing of the inquiry.

(3) The complainant shall have a right to be informed of the progress of the inquiry, from time to time, by the Inquiring Authority (the concerned police Authority or the Authority). Upon completion of inquiry or departmental proceeding, the complainant shall, as soon as may be, informed of the conclusions of the same.

75. No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government, the State Police Board, its members and staff, the Police Complaints Authority, its members and staff or any person acting under the direction of the Board or the Authority, in respect of anything, which is done or intended to be done in good faith in pursuance of the provisions of this Act.

76. For the efficient performance of duties, a separate component in appropriate major head of the State budget, as the State Government may determine, shall be provided.

CHAPTER IX**WELFARE AND GRIEVANCE REDRESSAL****Welfare of
Police
Officers**

77. (1) The Director General of Police shall be responsible for the implementation of the welfare measures for the police officers and other personnel under his supervision and control.

(2) The State Government may, in this regard, appoint one or more police officers to advise and assist the Director General of Police.

**Police
Welfare
Bureau**

78. (1) There shall be a Police Welfare Bureau (hereinafter referred to as the 'Bureau'), which shall be headed by an officer, who shall not be below the rank of Deputy Inspector General of Police.

(2) The function and duties of the Bureau shall, inter alia, include administration and monitoring of welfare measures for police personnel, such as -

(a) health care, particularly in respect of chronic and serious ailments, which include the post-retirement health care schemes for police officers and other personnel and their dependents, as are applicable to the employees of State Government;

(b) Medical assistance to police officers and other personnel, suffering injury in the course of the performance of duty, as determined by the State Government;

(c) Financial assistance to the next of kin of those dying in action, as determined by the State Government;

(d) Education and career counseling and training in appropriate skills for dependents of police officers and other personnel, as determined by the State Government; and

(e) Appropriate legal facilities, relating to bona fide discharge of duties, as determined by the State Government.

(3) The composition of the Bureau and its powers and functions shall be such, as may be prescribed by the State Government.

**Insurance
and Risk
Allowance**

79. (1) The State Government shall prescribe an Insurance Coverage for all police officers against injury, disability, or death caused while on duty.

(2) The State Government may also prescribe an allowance for Police Officers, posted in special wings carrying aggravated risks, as per State Government rules.

80. (1) The Director General of Police, with the approval of the State Government, shall put in place a fair, transparent, and participatory grievance redressal mechanism, by way of Regulations, for looking into individual as well as collective grievances of the police personnel. The grievances shall be liberally entertained.

(2) This mechanism shall ensure a right of appeal to the aggrieved party, if he is not satisfied with the disposal of his grievance at the first level.

CHAPTER X

GENERAL OFFENCES, PENALTIES AND RESPONSIBILITIES

81. (1) Any person, who commits any of the following offences, on any road, or street, thoroughfare, or any open place, which may cause inconvenience, annoyance or danger to the residents or passers-by, shall, on being found guilty by a court, be punished with a fine minimum Rs. Five Hundred and maximum Rs. One Thousand, such as -

- (a) being found intoxicated and riotous or found to be committing a nuisance in public;
 - (b) knowingly spreading rumors or causing a false alarm to mislead the police, fire brigade, or any other essential service.
- (2) It shall be lawful for any police officer to take into custody without a warrant, any individual, who commits any of the offences mentioned under sub-section (1) and fails to compound that offence on the spot.
- (3) The offences mentioned under this section, may be compounded on the spot, on depositing half of the minimum prescribed amount with the police officers, specially empowered in this behalf.
- (4) A person, detained in custody under sub-section (1), shall be released as soon as the offence has been compounded, otherwise such person shall be produced before the Magistrate, having jurisdiction within 24 hours of being taken into custody.

Coordination 82. (1) For effective management of law and order in a Division, wherever required, coordination among various other agencies and State Government shall be made by the Divisional Commissioner.

(2) For effective management of law and order in a District, wherever required coordination among various other agencies and State Government shall be made by the District Magistrate.

(3) For the purpose of coordination, the District Magistrate may call for information of a general or special nature, as and when required, from the Superintendent of Police of a district and heads of other departments of the district. Where the situation so demands, the District Magistrate shall pass appropriate written orders and issue directions to achieve the objective of coordination.

(4) For the purpose of coordination, on receiving directions from the District Magistrate, heads of all concerned departments shall ensure that full assistance is rendered to the Superintendent of Police of the district.

Penalty for disobeying orders or directions

83. (1) Any person, not complying the lawful orders, issued under section 51, 52, 53 and sub-section (3) and (4) of section 81, shall be prosecuted in a court of competent jurisdiction and on conviction, shall be liable to a fine, which may extend upto rupees ten thousand.

(2) However, the offence under section 51, 52 and 53 may be compounded on the spot, if a fine, amounting to half of the maximum prescribed, is deposited with the Officer-in-charge of the concerned Police Station.

Unauthorised use of police uniform

84. Whoever, not being a police officer, wears a police uniform or any dress having the appearance or bearing any of the distinctive marks of that uniform, without being authorized by the State Government or as the case may be, by an officer authorized by the State Government, shall, on conviction, be punished with imprisonment, which may extend up to six months or fine, which may extend up to rupees five thousand or with both.

Re
an
Sa

Penalties for neglect of duty by police officer, etc.

85. Every Police officer -

(a) who is guilty of violation of any duty or of willful breach or of neglect of any rule or regulation of lawful order by a competent authority; or

- (b) who has withdrawn from the duties of his office without permission or without having given prior notice; or
- (c) who, being absent on leave, has failed, without reasonable cause, to report himself / herself to duty on the expiration of such leave; or
- (d) who has engaged himself/herself, without authority, in any employment other than his police duty; or
- (e) who is found guilty of cowardice; or
- (f) who has been found inflicting any unwarranted personal violence to any person in his custody; or
- (g) who, without lawful reasons, fails to register a First Information Report, as required by section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973; or
- (h) who is found in a state of intoxication, while on duty; or
- (i) who acts in any other manner, unbecoming of a Police Officer;

shall be punished with a fine, which may extend to an amount equal to three month salary, or with imprisonment of either description which may extend to three months, or with both.

(j) (i) Any proceeding under this section shall be instituted by the Appointing Authority or District Superintendent of Police.

(ii) The finding of the legal proceedings, instituted under this section, shall be entered in the personal service records of the concerned Police personnel

Chapter XI

86. (1) The Indian Police Act, 1861 (Act 5 of 1861) is hereby repealed in its application to the State of Uttarakhand.

(2) The repeal under sub-section (1) shall not affect the previous operation of the enactments so repealed and anything done or action taken or deemed to have been done or taken earlier (including any appointment or delegation made or notification, order, direction or notice issued). Rules or Regulations made under the provisions of the said Act shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made under the corresponding provisions of this Act, and shall continue to be in force unless and until superseded by anything done or action taken under this Act.

Repeal
and
Savings

**Power to
make Rules
and
Regulations**

87. (1) The State Government may make Rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, before the House of the State Legislature.
- (3) The Director General of Police may frame Regulations, with the approval of the State Government, in respect of matters, specified in this Act.
- (4) State Government may direct the Director General of Police to amend any Regulation made by him in such manner, as it may direct and thereupon, the Director General of Police shall amend the Regulation in the manner as directed.
- (5) Every Rule and Regulation made this Act shall be notified by the State Government in the Official Gazette.

**Power to
remove
difficulties**

88. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, in the Official Gazette, make such provisions, within three years from the commencement of this Act, which are not inconsistent with this Act, as it deems necessary or expedient for removing the difficulty.
- (2) Every order, issued under the section, shall, as soon as may be, be laid before the State Legislature.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.